[2018] 13 एस. सी. आर 1

मल्लिकार्जुन कोडागली (मृत) का प्रतिनिधित्व किया गया

कानूनी प्रतिनिधियों के माध्यम से

वी.

कर्नाटक और ओआरएस का राज्य।

(आपराधिक अपील सं। 1281-1282 2018 का)

12 अक्टूबर, 2018

[मदन बी. लोकुर, दीपाक गुप्ता और

एस. अब्दुल नजीर, जे. जे.]

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973:

एस। 372 परंतुक (डब्ल्यू. ई. एफ. 31.12.2009)-अपराध के पीड़ित को बरी किए जाने के खिलाफ अपील का अधिकार-की आवश्यकता

तथ्यों पर, कथित अपराध फरवरी 2009 में हुआ था-अक्टूबर 2013 में निचली अदालत द्वारा बरी करने का आदेश पारित किया गया-एस के प्रावधान के तहत दायर अपील। 372 पीड़ित द्वारा-उच्च न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित करते हुए खारिज कर दिया गया कि प्रावधान एस। 372 डब्ल्यू. ई. एफ. 31.12.2009 पेश किया गया लेकिन

घटना उस तारीख से बहुत पहले हुई थी-अपील पर, अभिनिर्धारित किया गया: (लोकुर जे के अनुसार) Cr.P.C में परिभाषित 'पीड़ित' को एस के परंतुक को देखते हुए अपील करने का अधिकार है। 372 ऐसे मामले में बरी करने के आदेश के खिलाफ जहां कथित अपराध 31.12.2009 से पहले हुआ था, लेकिन बरी करने का आदेश निचली अदालत द्वारा 31.12.2009 के बाद पारित किया गया था-पीड़ित बरी करने के आदेश के खिलाफ अपील करने की अनुमति मांगे बिना अपील दायर कर सकता है-आयोजित: (प्रति गुप्ता जे: आंशिक रूप से असहमत) जब पीड़ित उच्च न्यायालय में बरी किए जाने के खिलाफ अपील दायर करता है तो उसे यू/एस में अपील करने के लिए अनुमति लेनी होती है। 378 (3) सीआरपीसी।

एस। 372 परंतुक-- का अर्थ-आयोजित: एस को प्रोविसो। 372 एक ऐसा अर्थ दिया जाना चाहिए जो यथार्थवादी, उदार, प्रगतिशील और

अपराध के शिकार व्यक्ति के लिए लाभकारी।

आपराधिक कानून: अपराध के पीड़ितों के अधिकार-आयोजित: एक अभियुक्त के अधिकार कई मामलों में एक अपराध के पीड़ित के अधिकारों से कहीं अधिक हैं।

चिंताओं में कुछ संतुलन बनाने और उनके अधिकारों को बराबर करने की आवश्यकता है ताकि आपराधिक कार्यवाही दोनों न्यायपालिका के लिए निष्पक्ष हो और केवल मुआवजा देने से परे चली गई हो और बड़े प्रावधानों को ध्यान में रखा जाए।

अपराध के पीड़ित के दृष्टिकोण से चित्र-के अधिकार

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

पीड़ित, और वास्तव में पीड़ित विज्ञान, एक विकसित न्यायशास्त्र है और एक सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ना उचित से अधिक है, न कि स्थिर या बदतर खड़े होने के बजाय, एक कदम पीछे हटें-संसद और न्यायपालिका द्वारा अपराध के पीड़ितों को दी गई आवाज को सुनने की आवश्यकता है, और यदि नहीं सुना जाता है, तो इसे उच्च डेसिबल तक उठाया जाना चाहिए।

अपीलों को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने

पकड़ना: मदन बी. लोकुर, जे. के अनुसार (अपने लिए और एस. अब्दुल नजीर, जे.) : 1.1 अपील दायर करने का अधिकार एक मौलिक अधिकार है और इसे तब तक आसानी से मान्यता नहीं दी जानी चाहिए जब तक कि विशेष रूप से

कानून। यह अभिनिर्धारित किया गया है कि अपील करने का अधिकार केवल एक अधिकार नहीं है प्रक्रिया की बात है लेकिन यह एक मूल अधिकार है। [पैरा 71] [34-डी]

गरिकापति वीराया बनाम। एन. सुब्बैया चौधरी [1957] एस. सी. आर. 488 ने इसका अनुसरण किया।

1.2 यह महत्वपूर्ण है कि कई उच्च न्यायालयों ने इस प्रभाव के प्रति एक सुसंगत दृष्टिकोण अपनाया है कि किसी अपराध के पीड़ित को

कम अपराध के लिए अभियुक्त की दोषसिद्धि को चुनौती देना या अपर्याप्त मुआवजा देना। परंतुक की भाषा काफी स्पष्ट है, और जो बारीकियां परंतुक में मौजूद नहीं हैं, उन्हें नहीं पढ़ा जाना चाहिए। [पैरा 74] [35-बी-डी] 1.3 धारा 372 Cr.P.C के परंतुक को भी एक ऐसा अर्थ दिया जाना चाहिए जो यथार्थवादी, उदार, प्रगतिशील और अपराध के पीड़ित के लिए फायदेमंद हो। इसका एक ऐतिहासिक कारण है, जिसकी शुरुआत अपराध और शक्ति के दुरुपयोग के पीड़ितों के लिए न्याय के बुनियादी सिद्धांतों की घोषणा से होती है, जिसे संयुक्त राष्ट्र की महासभा द्वारा मल्लिकार्जुन कोडागली (मृत) आरईपी पर 96 वें पूर्ण सत्र में अपनाया गया था।

टीएचआर। एलआरएस। वी. कर्नाटक राज्य

29 नवंबर, 1985। इस घोषणा को कभी-कभी पीड़ितों के अधिकारों का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। की गई महत्वपूर्ण घोषणाओं में से एक औपचारिक और अनौपचारिक दोनों तरह के न्याय वितरण तंत्र के माध्यम से अपराध के पीड़ित के लिए न्याय तक पहुंच के संबंध में थी। घोषणा को व्यवहार में लाते हुए, यह बिल्कुल स्पष्ट है कि अपराध का शिकार व्यक्ति विभिन्न अधिकारों का हकदार है। औपचारिक प्रक्रियाओं के माध्यम से न्याय और निवारण के तंत्र तक पहुंच

जैसा कि राष्ट्रीय विधान में प्रावधान किया गया है, तत्काल मामले जैसे मामले में बरी करने के आदेश के खिलाफ अपील दायर करने का अधिकार शामिल होना चाहिए। इस संदर्भ में, धारा 372 Cr.P.C के परंतुक को अपराध के पीड़ित को लाभ पहुँचाने के लिए जीवन दिया जाना चाहिए। इन परिस्थितियों में, कानून की सरल भाषा के आधार पर और कई उच्च न्यायालयों द्वारा व्याख्या और संयुक्त राष्ट्र की महासभा के प्रस्ताव के आधार पर, यह बिल्कुल स्पष्ट है कि धारा 2 (डब्ल्यू. ए.) Cr.P.C में परिभाषित एक पीड़ित अदालत के समक्ष अपील दायर करने का हकदार होगा, जिसमें आम तौर पर दोषसिद्धि के आदेश के खिलाफ अपील की जाती है। इसका पालन करना चाहिए कि उच्च न्यायालय के समक्ष अपीलार्थी द्वारा दायर अपील विचारणीय थी और उस पर अपने गुण-दोष के आधार पर विचार किया जाना चाहिए था। [पैरा 75-77] [35-E-F; 36-G-H; 37-A-B]

धारा 372 Cr.P.C के प्रावधान का संबंध है। [पैरा 78] [37-सी-डी] 1.6 उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय और आदेशों को दरकिनार कर दिया जाता है और मामलों को उच्च न्यायालय को वापस भेज दिया जाता है

अपील को सुनें और निर्णय लें। [पैरा 79] [37-ई]

राष्ट्रीय महिला आयोग बनाम दिल्ली राज्य और एएनआर (2010) 12 एससीसी 599: [2010] 10 एससीआर 905; सत्यपाल सिंह बनाम। एम. पी. और अन्य का राज्य। (2015) 15 एससीसी 613 -

प्रतिष्ठित।

[2018

] 13 एस.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

ललिता कुमारी बनाम। उत्तर प्रदेश सरकार (2014) 2 एससीसी 1: [2013] 14 एससीआर 713; गिरीश कुमार सुनेजा बनाम। केंद्रीय जांच बोर्ड (2017) 14 एस. सी. सी. 809; हरि सिंह बनाम। सुखबीर सिंह एयर 1988 एससी 2127: [1988] 2 पूरक। एससीआर 571; बोधिसत्व गौतम बनाम। सुभ्रा

चक्रवर्ती एयर 1996 एससी 922: [1995] 6 पूरक। एससीआर 731; अंकुश शिवाजी गायकवाड़ बनाम। महाराष्ट्र राज्य (2013) 6 एस. सी. सी. 770 [2013] 8 एस. सी. आर. 863; संपूर्ण बेहुरा बनाम। भारत संघ (2018) 4 एस. सी. सी. 433; साक्षी बनाम। भारत संघ (2004) 5 एससीसी 518: [2004] 2 पूरक। एस. सी. आर. 723; भवूबेन दिनेशभाई मकवाना बनाम। गुजरात राज्य एम. ए. एन. यू./जी. जे./1137/2012; महाफुजा बानो बनाम। मो. असदुल इस्लाम एंड स्टेट। (2013) 1 कैल एल. टी. 109; गौरंगा देबनिह बनाम। त्रिपुरा राज्य 2011 (4) जी. एल. टी. 379; टी. बालकृष्णन मास्टर बनाम। के. एम. रामचंद्रन मास्टर सीआरएल। 2011 का एम. ए. सं. 7423; टाटा स्टील बनाम. आत्मा ट्यूब प्रोडक्ट्स लिमिटेड (2014) 173 (1) पीएलआर 1; श्रीमती. राम कौर @जसविंदर कौर बनाम। जगबीर सिंह उर्फ जबी और अन्य

मनु/पीएच/4500/2010; गुरु प्रसाद यादव बनाम। 2011 का बिहार राज्य सी. आर. एल. अपील सं. 582; राम फाल बनाम। राज्य और अन्य। 2015 (151) डी. आर. जे. 562; परमेश्वर मंडल बनाम। बिहार राज्य 2014 (1) पी. एल. जे. आर. 377; बलदेव शर्मा बनाम। गोपाल और अन्य 2017 (3) आरएलडब्ल्यू 2604 (राज); वनजा के. सी. बनाम केरल राज्य और अन्य। आईएलआर 2016 (2) केरल 713;

डी. सुधाकर बनाम पनापु श्रीनिवासुलु @इवोन वाटर श्रीनिवासुलु और अन्य। मनु/एपी/1172/2012; जॉन बनाम। शिबू चेरियन मनु/केई/1839/2011; भीसम प्रसाद बरेथ बनाम। दिनेश महांत और ओआरएस। एम. ए. एन. यू./सी. जी./0079/2012-संदर्भित।

मामला कानून संदर्भ

[2013] 14 एससीआर 713

संदर्भित किया गया है

पै

रा 3

(2017) 14 एस. सी. सी. 809

पै

रा 4

संदर्भित किया गया है

[1988] 2 पूरक। एससीआर 571

पैर

ा 4

संदर्भित किया गया है

[1995] 6 पूरक। एससीआर 731

पैर

ा 4

संदर्भित किया गया है

[2013] 8 एससीआर 863

संदर्भित किया गया है

पैरा 4 मल्लीकारजुन कोडागली (मृत) रिप। टीएचआर। एलआरएस। वी. कर्नाटक राज्य

(2018) 4 एस. सी. सी. 433

पै

रा 4

संदर्भित किया गया है

[2004] 2 पूरक। एससीआर 723

संदर्भित किया गया है

पै

रा 5

(2013) 1 कैल एल. टी. 109

संदर्भित किया गया है

पै

रा 38

पै

रा 39

2011 (4) जीएलटी 379

संदर्भित किया गया है

(2014) 173 (1) पीएलआर 1

संदर्भित किया गया है

पै

रा 44

2015 (151) डी. आर. जे 562

पै

रा 48

संदर्भित किया गया है

2014 (1) पीएलजेआर 377

संदर्भित किया गया है

पै

रा 50

2017 (3) आरएलडब्ल्यू 2604 (राज.)

संदर्भित किया गया है

पै

रा 51

आई. एल. आर. 2016 (2) केरल 713

पै

रा 58

संदर्भित किया गया है

(2015) 15 एस. सी. सी. 613

प्रतिष्ठित

पै

रा 70

[1957] एससीआर 488

पीछा किया।

पै

रा 71

[2010] 10 एससीआर 905

प्रतिष्ठित

पै

रा 73

दीपक गुप्ता के अनुसार, जे. (आंशिक रूप से असहमति):

1.1 दंड संहिता की धारा 372 का प्रावधान

प्रक्रिया को एक ऐसा अर्थ दिया जाना चाहिए जो यथार्थवादी, उदार हो,

अपराधों के पीड़ितों के लिए प्रगतिशील और लाभकारी। हालांकि,

साथ ही, कोई भी अभियुक्त के अधिकारों की उपेक्षा नहीं कर सकता है और

कानून द्वारा निर्धारित प्रक्रिया। यह स्वीकार नहीं किया जा सकता है कि ए पीड़ित बिना मांगे उच्च न्यायालय में अपील दायर कर सकता है।

दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 378 (3) के संदर्भ में अपील करने की अनुमति। [पैरा 1,2]

[37 - एच; 38-ए-बी]

1.2 यह स्वीकार किया जाता है कि पीड़ित को अपील दायर करने का अधिकार

यह केवल उस तारीख को उत्पन्न होगा जब निचली अदालत द्वारा निर्णय पारित किया जाता है क्योंकि केवल तभी पीड़ित को यह आग्रह करने का अधिकार है कि बरी करना गलत है या आरोपी को दी गई सजा उस अपराध के अनुरूप नहीं है जो आरोपी कर सकता है।

प्रतिबद्ध हैं। इसलिए, इसमें कोई संदेह नहीं है कि पीड़ित को अपील करने का अधिकार है और उस हद तक उच्च न्यायालय के फैसले को दरकिनार किया जा सकता है। [पैरा 4] [39-एच; 40-ए-बी] [2018] 13 एस. सी. आर.

1.3 दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 372 में संशोधन से पहले पीड़ित को अपील दायर करने का कोई अधिकार नहीं था। पारंपरिक दृष्टिकोण हमेशा रहा है

कि राज्य अपराध के पीड़ित का प्रतिनिधित्व करता है। आपराधिक अपराधों को हमेशा राज्य के खिलाफ अपराध माना गया है और केवल राज्य ही ऐसे मामलों की जांच और मुकदमा चलाता है। यदि राज्य तंत्र पीड़ित की शिकायत पर कार्रवाई नहीं करता है, तो उक्त पीड़ित को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 156 के तहत अदालत का दरवाजा खटखटाने का अधिकार है। सी. आर. पी. सी. की धारा 156 (3) के तहत मजिस्ट्रेट पुलिस द्वारा जांच करने का आदेश दे सकता है। एक बार जाँच हो जाने के बाद, फिर से जाँच अधिकारी की सहायता करने और जाँच अधिकारी के ध्यान में सबूत लाने के अलावा जाँच में पीड़ित का कोई हाथ नहीं होता है। जाँच के बाद जाँच अधिकारी दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 173 के तहत अंतिम रिपोर्ट दाखिल करता है। जाँच अधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुँच सकता है कि या तो कोई अपराध नहीं किया गया है या रिपोर्ट दाखिल कर सकता है।

और राज्य को एक प्रमुख भूमिका प्रदान की। केवल राज्य ही अपील दायर करने का हकदार था। एकमात्र अपवाद शिकायत मामलों में था जहाँ शिकायतकर्ता अपील दायर कर सकता था। उच्च न्यायालय में अपील किए जाने की स्थिति में उन्हें अपील करने के लिए विशेष अनुमति भी लेनी पड़ी। [पैरा 7] [41-एच; 42-डी, ई] 1.5 दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 372, जिसे पीड़ित को अधिकार देने के लिए वर्ष 2008 में संशोधित किया गया था, एक नकारात्मक धारा है, जिसमें विशेष रूप से अपने संशोधन से पहले यह प्रावधान किया गया था कि दंड प्रक्रिया संहिता या किसी अन्य लागू कानून द्वारा प्रदान किए गए प्रावधान के अलावा किसी आपराधिक न्यायालय के किसी भी निर्णय या आदेश से कोई अपील नहीं होगी। विधायिका ने पीड़ित को अपील करने का अधिकार देते हुए, उसे सबसे अच्छी तरह से ज्ञात कारणों से, पीड़ित को धारा 378 दंड प्रक्रिया संहिता या किसी अन्य विशिष्ट धारा के तहत अपील दायर करने का अधिकार नहीं दिया।

आश्चर्यजनक रूप से मलिकार्जुन कोडागली (मृत) आर. ई. पी. का यह अधिकार। टीएचआर। एलआरएस। वी. कर्नाटक राज्य

पीड़ित को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 372 के प्रावधान के रूप में दिया गया था। यह प्रावधान बहुत खुशी से नहीं कहा गया है। जो भी हो, तथ्य यह है कि पीड़ित को अब इस परंतुक के तहत अपील करने का अधिकार है। वह उसमें बताए गए आदेशों के खिलाफ अपील दायर कर सकता है। [पैरा 8] [42-ई-जी]

1.6 बेगुनाही की धारणा जो प्रत्येक अभियुक्त से जुड़ी होती है, तब मजबूत और मजबूत होती है जब उक्त अभियुक्त

निचली अदालत द्वारा बरी कर दिया गया। संभवतः, इस कारण से, कानून निर्माताओं ने महसूस किया कि जब अपील उच्च न्यायालय में दायर की जानी है तो इसे निश्चित रूप से या अधिकार के मामले के रूप में दायर नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन अपील पर विचार करने से पहले उच्च न्यायालय की अनुमति प्राप्त की जानी चाहिए। इसलिए, उच्च न्यायालय यह तय करने के प्रारंभिक चरण में कि अनुमति दी जानी है या नहीं, मामले के गुण-दोष पर विचार करेगा। केवल तभी जब बहस योग्य मुद्दे शामिल हों, उच्च न्यायालय आम तौर पर अपील करने की अनुमति देता है। यह न केवल उच्च न्यायालय को अपीलों से भर जाने से रोकेगा, बल्कि इससे भी अधिक महत्वपूर्ण रूप से यह सुनिश्चित किया जाएगा कि निर्दोष व्यक्ति जो पहले ही लंबे समय से चले आ रहे आपराधिक मुकदमे के क्लेश का सामना कर चुके हैं, उन्हें फिर से अनावश्यक रूप से उच्च न्यायालय में नहीं घसीटा जाए। [पैरा 9] [43-बी-डी]

1.7 दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 378 के तहत संज्ञेय और गैर-संज्ञेय व्यक्तियों के संबंध में मजिस्ट्रेट द्वारा पारित बरी करने के आदेश के खिलाफ अपील

जमानती अपराध सत्र न्यायालय में होते हैं और अपील करने की कोई अनुमति नहीं होती है आवश्यकता होती है। मजिस्ट्रेट के न्यायालय से यह केवल अपील है

ऐसे अपराधों के संबंध में जो गैर-संज्ञेय और जमानती हैं अर्थात कम गंभीर अपराध जो उच्च न्यायालय के पास होंगे। ऐसे मामलों में, अपील करने की अनुमति एक पूर्व-आवश्यकता है। यह इस दृष्टि से किया गया था कि जिन व्यक्तियों ने अपेक्षाकृत कम अपराधों के लिए मुकदमे का सामना किया था, उन्हें मामले में अपील का खर्च वहन नहीं करना चाहिए।

उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय में आने वाली अन्य अपीलें सत्र न्यायालय की अपीलें हैं। ये गंभीर आपराधिक मामले हैं और बहुत गंभीर अपराधों से संबंधित हैं। अपील करने की अनुमति की अवधारणा शायद इसलिए पेश की गई थी क्योंकि ये मामले हैं अपेक्षाकृत वरिष्ठ न्यायाधीशों-सत्र न्यायाधीशों द्वारा निर्णय लिया जाता है। विधायिका ने महसूस किया कि ऐसे मामलों में भी बरी किए जाने वालों के खिलाफ अपीलों की अधिक सावधानी के साथ जांच की जानी चाहिए। [पैरा 10] [43-ई-जी]

1.8 यहाँ तक कि एक शिकायतकर्ता जब शिकायत पर स्थापित मामले में बरी होने के आदेश के खिलाफ अपील दायर करता है, तब भी इसकी आवश्यकता होती है।

अपील करने के लिए विशेष अनुमति प्राप्त करना। यह सच है कि [2018] 13 एस. सी. आर. का प्रावधान।

सी. आर. पी. सी. की धारा 372 यह संकेत नहीं देती है कि उच्च न्यायालय में अपील दायर करते समय पीड़ित को अपनी अपील पर विचार करने से पहले अपील करने की अनुमति के लिए याचिका दायर करनी चाहिए। हालांकि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 372 का प्रावधान पीड़ित को अपील दायर करने का अधिकार देता है, लेकिन इस प्रावधान को अलग से नहीं पढ़ा जा सकता है। इसका एक ऐसा अर्थ दिया जाना चाहिए जो विधानमंडल के इरादे को पूरा करता हो। धारा 372 सी. आर. पी. सी. का परंतुक इस प्रक्रिया को निर्धारित नहीं करता है कि कैसे,

किस तरीके से और किस समय के भीतर अपील दायर की जानी है। एक अपील, कानून का एक हिस्सा होने के नाते, अपील दायर करने के लिए सीमा और प्रक्रिया निर्धारित करना भी आवश्यक है। [पारस 11,12] [43-एच; 44-ए-सी]

1.9 दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 378 की उप-धारा (4) को स्वीकार करते हुए, यदि किसी शिकायत पर स्थापित मामले में बरी करने का आदेश पारित किया जाता है।

1.10 यदि यह प्रस्ताव स्वीकार किया जाता है कि पीड़ित को उच्च न्यायालय में अपील दायर करने की स्थिति में अपील करने के लिए अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है, तो एक और विसंगतिपूर्ण स्थिति होगी। मान लीजिए कि एक मामले में दो पीड़ित हैं और पीड़ितों में से एक शिकायत दर्ज करता है और न्याय के पहियों को गति देता है और

मामला एक शिकायत मामले के रूप में चलाया जाता है। यदि अभियुक्त को बरी कर दिया जाता है और पीड़ित जो शिकायतकर्ता है, उच्च न्यायालय में अपील दायर करना चाहता है, तो उसे अपील करने के लिए विशेष अनुमति लेनी होगी, जबकि पीड़ित जिसने प्रारंभिक चरण में अदालत का दरवाजा भी नहीं खटखटाया था, वह अपील करने की अनुमति के बिना अपील दायर करने का हकदार होगा। यह विधानमंडल का इरादा नहीं हो सकता था।

[पैरा 14] [44-एफ-जी] मल्लिकार्जुन कोडागली (मृत) रिप। टीएचआर। एलआरएस। वी. कर्नाटक राज्य

1.11 ये आपराधिक न्यायशास्त्र और पीड़ित के बढ़ते अधिकारों में परिवर्तन हैं, जो पीड़ित के पास होना चाहिए। में।

साथ ही, इन अधिकारों को अभियुक्त के अधिकारों के साथ संतुलित किया जाना चाहिए। व्यक्तियों के लिए झूठे मामले दर्ज करना असामान्य नहीं है। इसलिए, कानून की व्याख्या करते समय कोई भी इस तथ्य पर अपनी आंखें बंद नहीं कर सकता है कि बड़ी संख्या में झूठे मामले दायर किए जाते हैं और जब आरोपी को बरी करने का आदेश दिया जाता है तो ऐसे मामलों में अपील दायर नहीं होने की अधिक संभावना होती है। [पारस 15,16] [44-एच; 45-ए-डी]

राजेश शर्मा बनाम। उत्तर प्रदेश राज्य 2017 एस. सी. सी. ऑनलाइन एससी

821 ; डॉ. सुभाष काशीनाथ महाजन बनाम की स्थिति

महाराष्ट्र (2018) 6 एस. सी. सी. 454-संदर्भित।

1.12 आपराधिक न्यायशास्त्र का एक आधार यह है कि प्रत्येक व्यक्ति को तब तक निर्दोष माना जाता है जब तक कि वह दोषी न पाया जाए। यह जब व्यक्ति बरी हो जाता है तो निर्दोष होने की धारणा मजबूत हो जाती है। इसलिए, विधायिका ने महसूस किया कि पहले एक व्यक्ति जिसे लंबे मुकदमे के बाद बरी कर दिया गया है, उसे सामना करने के लिए कहा जाता है

उच्च न्यायालय में एक अपील में कार्यवाही, उच्च न्यायालय को मामले को देखना चाहिए और पहले यह तय करना चाहिए कि अपील दायर करने की अनुमति देने के लिए पर्याप्त कारण हैं या नहीं। यह, यह तय करने के लिए एक प्रारंभिक सुनवाई बोलने के तरीके से है कि क्या मामला

यह देखने लायक है या नहीं। पीड़ित द्वारा दायर अपीलों में इस तरह की जांच क्यों नहीं की जानी चाहिए, इसका कोई कारण नहीं है। पीड़ित को राज्य या शिकायतकर्ता से ऊँचे स्थान पर नहीं रखा जा सकता है। अपील दायर करने का पीड़ित का अधिकार नहीं लिया जाता है या किसी भी तरह से केवल इसलिए कमजोर नहीं किया जाता है क्योंकि उसे याचिका दायर करनी होती है।

अपील करने के लिए छोड़ दें। यदि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 378 (3), 378 (4) और 372 को एक साथ पढ़ा जाए, तो यह स्पष्ट है कि पीड़ित को भी आवेदन करना आवश्यक है।

उसकी अपील पर विचार किए जाने से पहले अपील करने की अनुमति के लिए। [पैरा 17,18] [45-डी-जी]

1.13 हालाँकि पीड़ित के पास अधिकार हैं, लेकिन कोई यह नहीं भूल सकता कि एक पीड़ित जिसने पीड़ित किया होगा, वह भी बदला ले सकता है। इसलिए, राज्य पर मुकदमा चलाने का दायित्व डाला गया है

अभियोजक। संचालन के लिए किसी निजी वकील को नियुक्त नहीं किया जा सकता है दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 301 (2) के तहत मुकदमा। एक निजी व्यक्ति सहित

पीड़ित, केवल एक वकील को अदालत में अपनी ओर से कार्य करने का निर्देश दे सकता है, लेकिन अभियोजन या तो जनता [2018] 13 एस. सी. आर. द्वारा किया जाना है।

अभियोजक या सहायक लोक अभियोजक और निजी व्यक्ति द्वारा नियुक्त वकील केवल लोक अभियोजक या सहायक लोक अभियोजक के निर्देशों के अनुसार कार्य कर सकते हैं। द. इसके पीछे का कारण यह है कि पीड़ित सबूत गढ़ सकता है या सही तथ्य छिपा सकता है जबकि लोक अभियोजक या सहायक लोक अभियोजक से अदालत, आरोपी और पीड़ित के प्रति निष्पक्ष होने की उम्मीद की जाती है। [पैरा 19] [45-एच; 46-ए-सी]

1.14 एक ओर पीड़ित के अधिकार हैं और दूसरी ओर

दूसरी ओर, आपराधिक न्यायशास्त्र का अच्छी तरह से स्थापित सिद्धांत है कि हर आदमी को तब तक निर्दोष माना जाता है जब तक कि दोषी साबित हुए। इसलिए, यद्यपि पीड़ित को अपील दायर करने का अधिकार हो सकता है, लेकिन पीड़ित में निहित अपील दायर करने का यह अधिकार, अपील दायर करने के अधिकार से बड़ा नहीं हो सकता है जो राज्य और शिकायतकर्ता के शिकायत मामले में निहित है। इसलिए, जब पीड़ित उच्च न्यायालय में बरी किए जाने के खिलाफ अपील दायर करता है।

अदालत में उसे दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 378 (3) के तहत अपील करने की अनुमति लेनी होगी। [पैरा 20] [46-डी-ई]

सत्यपाल सिंह बनाम। मध्य प्रदेश राज्य और अन्य।

(2015) 15 एस. सी. सी. 613-संदर्भित।

मामला कानून संदर्भ

(2015) 15 एस. सी. सी. 613

संदर्भित किया गया है

पै

रा 5

(2018) 6 एससीसी 454

संदर्भित किया गया है

पै

रा 16

आपराधिक अपील न्यायनिर्णय: आपराधिक अपील

नं. 1281-1282 2018 से।

उच्च न्यायालय के 10.06.2014 दिनांकित निर्णय और आदेश से

कर्नाटक सरकार, 2014 की आपराधिक अपील संख्या 100016 में धारवाड़ में सर्किट बेंच और 2014 की आपराधिक अपील संख्या 100119 में निर्णय और आदेश दिनांक 04.07.2014

सिद्धार्थ लूथरा, सीनियर एड. , एस. उदय कुमार सागर, सुश्री बीना

एम/एस के लिए माधवन, पीयूष द्विवेदी, अनूपम एन. प्रसाद, सुश्री महक जग्गी, एंथनी। वकील एस निट एंड कंपनी, अधिवक्ता। अपीलार्थियों के लिए।

ए. के. गांगुली, वरिष्ठ अधिवक्ता। , सुश्री रजनी के. प्रसाद, सुश्री एन. अन्नपूर्णी,

जोसेफ अरिस्टोटल एस., सुश्री प्रिया अरिस्टोटल, सुश्री पायल एन. गायकवाड़, गौरव अग्रवाल, निशांत पाटिल, सुश्री स्नेहा आर. अय्यर, रोहित प्रसाद, शहरयार अली, अधिवक्ता। उत्तरदाताओं के लिए।

मल्लीकारजुन कोडागली (मृत) प्रतिनिधि। टीएचआर। एलआरएस। वी. कर्नाटक राज्य

न्यायालय के निर्णय दिए गए थे

मदन B.LOKUR, जे।

1. छुट्टी दे दी गई।

2. अपराध के पीड़ितों के अधिकार एक ऐसा विषय है जिसने दुर्भाग्य से संसद, न्यायपालिका और नागरिक समाज का केवल छिटपुट ध्यान आकर्षित किया है।

फिर भी, पिछले कुछ वर्षों में इसने बहुत प्रगति की है। यह हमारा विकसित और विकासशील न्यायशास्त्र है जिसने इसे संभव बनाया है। लेकिन अपराध के पीड़ितों के अधिकारों को केंद्र में लाने और उन्हें मानवाधिकारों के रूप में मान्यता देने के लिए हमें अभी भी एक लंबा रास्ता तय करना है।

सामाजिक न्याय और कानून का शासन।

3. अपराध के पीड़ितों के कष्ट और क्लेश अपराध के आघात से ही शुरू होते हैं और दुर्भाग्य से, प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफ़. आई. आर.) के पंजीकरण जैसी सरल चीज़ों में उनके सामने आने वाली कठिनाइयों के साथ जारी रहते हैं। एफ. आई. आर. दर्ज करने में कठिनाइयों को इस न्यायालय की एक संविधान पीठ ने ललिता कुमारी बनाम में देखा है। उत्तर प्रदेश सरकार। 1 अग्निपरीक्षा जारी है, काफी बार, में

जांच जो अनिवार्य रूप से निष्पक्ष न हो, विशेष रूप से महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों के संबंध में। न्याय तक पहुँच के संदर्भ में

किफायती, प्रभावी कानूनी सहायता और सलाह के साथ-साथ पर्याप्त और समान प्रतिनिधित्व भी ऐसी समस्याएं हैं जिनका पीड़ित को सामना करना पड़ता है और जिनका समाज, कानून के शासन और न्याय वितरण पर प्रभाव पड़ता है। 4. मुकदमे में जो होता है वह अक्सर प्रतिकूल या अर्ध-शत्रुतापूर्ण वातावरण में अदालत में बार-बार पेश होने के माध्यम से माध्यमिक उत्पीड़न होता है।

अदालत में। कुछ समय पहले तक, माध्यमिक उत्पीड़न आक्रामक और डराने वाली प्रतिपरीक्षा के रूप में था, लेकिन भारतीय साक्षय अधिनियम, 1872 के प्रावधानों की अधिक मानवीय व्याख्या की गई है।

अपराध की पीड़ित के लिए मुकदमे को थोड़ा कम असहज बना दिया, विशेष रूप से यौन अपराध की पीड़ित के लिए। इस संबंध में न्यायपालिका यह सुनिश्चित करने में सक्रिय रही है कि पीड़ितों के अधिकारों को संबोधित किया जाए, लेकिन बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। आज, एक अभियुक्त के अधिकार कई मायनों में एक अपराध के पीड़ित के अधिकारों से कहीं अधिक हैं। चिंताओं में कुछ संतुलन बनाने और उनके अधिकारों को बराबर करने की आवश्यकता है ताकि आपराधिक कार्यवाही दोनों के लिए निष्पक्ष हो। 2 न्यायालयों ने पीड़ित को मौद्रिक मुआवजे के साथ सांत्वना प्रदान की है, लेकिन यह पर्याप्त नहीं है। 3 वहाँ

1 1 (2014) 2 एससीसी 1 2 गिरीश कुमार सुनेजा बनाम। केंद्रीय जांच बोर्ड, (2017) 14 एस. सी. सी. 809 3 हरि सिंह बनाम। सुखबीर सिंह, ए. आई. आर 1988 एस. सी. 2127; बोधिसत्व गौतम बनाम। सुभ्रा चक्रवर्ती, ए. आई. आर. 1996 एस. सी. 922; अंकुश शिवाजी गायकवाड़ बनाम। महाराष्ट्र राज्य,

(2013) 6 एससीसी 770 [2018] 13 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (Cr.P.C) की धारा 357 ए के अधिदेश के कारण लागू पीड़ित क्षतिपूर्ति योजनाएं हैं, लेकिन यह भी पर्याप्त नहीं है, हालांकि उन्हें देश के कई हिस्सों में लागू किया जा रहा है। हमारा विचार है कि न्यायपालिका जाने के लिए बाध्य है और केवल मुआवजा देने से परे चली गई है और इस पर विचार किया है अदालत के भवनों में बुनियादी ढांचे से संबंधित अपराध के पीड़ित के दृष्टिकोण से बड़ी तस्वीर पर विचार करें और कुछ सिफारिशों की सिफारिश की है और उन्हें लागू किया है जैसे कि बाल अनुकूल अदालतों और अदालतों का निर्माण जो कमजोर गवाहों की चिंताओं को दूर करते हैं। 4 अदालतों ने अपराध के पीड़ितों के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास किया है और कर रही हैं।

5. साक्षी बनाम। भारत संघ के इस न्यायालय ने एक स्क्रीन प्रदान करते हुए असंबद्ध कार्यवाही आयोजित करने के लिए महत्वपूर्ण निर्देश पारित किए अभियुक्त और पीड़ित के बीच और एक अर्थ में प्रतिबंध लगाए गए,

गवाहों की प्रतिपरीक्षा पर। यह सच है कि ये निर्देश यौन अपराधों से संबंधित मामले में पारित किए गए हैं, लेकिन इस न्यायालय की प्रवृत्ति किसी अपराध के पीड़ितों के अधिकारों के लिए चिंता दिखाने और उन्हें संबोधित करने की रही है।

6. संसद अपराध के पीड़ितों के अधिकारों को मान्यता देने में भी सक्रिय रही है। ऐसी मान्यता के प्रावधानों के माध्यम से है Cr.P.C का अध्याय XXIA जो दलील सौदेबाजी से संबंधित है। संसद ने मामले के पारस्परिक रूप से संतोषजनक निपटान में भाग लेने के लिए पीड़ित के अधिकारों को मान्यता दी है। यह एक गैर-शमनीय मामले की कार्यवाही में भाग लेने के लिए पीड़ित के अधिकार की मान्यता में एक बड़ी छलांग है। इसी तरह, संसद ने Cr.P.C में संशोधन किया है।

अपराध के पीड़ित को कुछ परिस्थितियों में अपील करने का अधिकार प्रदान करना। वर्तमान अपीलें Cr.P.C की धारा 372 के परंतुक में शामिल इस अधिकार से संबंधित हैं।

7. दूसरे शब्दों में, अपराध के पीड़ितों के अधिकारों को जीवन देने में काफी राशि हासिल की गई है, इसके बावजूद कि

सामंजस्यपूर्ण नीति। लेकिन, जैसा कि ऊपर बताया गया है, अभी भी बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। 8. अपराध के पीड़ितों को सार्थक अधिकार प्रदान करने के लिए उठाए जाने वाले कदमों पर गंभीरता से विचार करना आवश्यक है।

एक दोषी को सजा सुनाते समय पीड़ित को सुनना।

* संपूर्ण बेहुरा बनाम। भारत संघ, (2018) 4 एस. सी. सी. 433 5 (2004) 5 एस. सी. सी. 518 मल्लिकार्जुन कोडागली (मृत) आर. ई. पी.

टीएचआर। एलआरएस। वी. कर्नाटक राज्य [मदन बी. लोकुर, जे.]

पीड़ित प्रभाव विवरण या पीड़ित प्रभाव मूल्यांकन को उचित मान्यता दी जानी चाहिए ताकि पीड़ित को उचित सजा दी जा सके। दोषी। इसके अलावा, मनो-सामाजिक समर्थन और परामर्श की आवश्यकता है

अपराध की प्रकृति के आधार पर पीड़ित के लिए भी आवश्यक हो सकता है। यह संभव है कि किसी मामले में एक युवा विवाहित महिला का पति किसी लड़ाई या हिंसक विवाद में मारा जाए। ऐसी परिस्थितियों में युवा विधवा से अपनी देखभाल करने की उम्मीद कैसे की जाती है, जो

अगर उसका एक छोटा बच्चा होता तो यह और भी अधिक दर्दनाक हो सकता था? यह सच है कि पीड़ित के प्रभाव वाले बयान या मूल्यांकन के परिणामस्वरूप दोषी को उचित सजा दी जा सकती है, लेकिन यह आवश्यक नहीं है कि युवा विधवा को 'न्याय' मिले-शायद उसके लिए पुनर्वास केवल यह सुनिश्चित करने से अधिक महत्वपूर्ण है कि अपराधी को आजीवन कारावास दिया जाए।

वाक्य। इसलिए अब सामाजिक न्याय के संदर्भ में इन मुद्दों पर चर्चा करने और उन्हें कुछ महत्वपूर्ण रिपोर्टों द्वारा सुझाए गए निर्देश और संसद और न्यायिक घोषणाओं द्वारा दिए गए निर्देश की दिशा में आगे बढ़ाने की आवश्यकता है।

9. पीड़ितों के अधिकार, और वास्तव में पीड़ित विज्ञान, एक विकसित न्यायशास्त्र है और एक कदम पीछे हटने के बजाय सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ना उचित है। संसद और न्यायपालिका द्वारा अपराध के पीड़ितों को एक आवाज दी गई है और उस आवाज को सुनने की आवश्यकता है, और यदि पहले से ही नहीं सुना गया है, तो इसे उच्च डेसिबल तक उठाने की आवश्यकता है ताकि इसे स्पष्ट रूप से सुना जा सके।

10. इस पृष्ठभूमि के साथ, हमें उन प्रश्नों पर विचार करने की आवश्यकता है जो धारा के परंतुक की शुरुआत के परिणामस्वरूप हमारे सामने उत्पन्न होते हैं। 372 31 दिसंबर, 2009 से प्रभावी Cr.P.C का। सवाल हैं।

कुछ हद तक सीमित हैं: क्या किसी मामले में, जहां कथित अपराध 31 दिसंबर, 2009 से पहले हुआ था, लेकिन बरी करने का आदेश निचली अदालत द्वारा 31 दिसंबर, 2009 के बाद पारित किया गया था, बरी करने के आदेश के खिलाफ Cr.P.C में परिभाषित 'पीड़ित' को Cr.P.C की धारा 372 के प्रावधान को देखते हुए अपील करने का अधिकार है? इस सवाल का हमारा जवाब हां में है। अगला सवाल है: क्या 'पीड़ित' को बरी किए जाने के आदेश के खिलाफ अपील करने के लिए अनुमति के लिए आवेदन करना चाहिए? इस सवाल का हमारा जवाब नकारात्मक है।

तथ्यात्मक कथा

11. अपीलार्थी (कोडगली-अब मृत लेकिन उसके कानूनी प्रतिनिधियों द्वारा प्रतिनिधित्व किया गया) 6 [2018] 13 एस. सी. आर. की रात को हमले का शिकार हुआ था।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

12. 2010 के S.C.No.49 में जिला और सत्र न्यायाधीश, बागलकोट (कर्नाटक) ने 28 तारीख के एक फैसले और आदेश से आरोपी को बरी कर दिया। अक्टूबर, 2013।

13. इससे व्यथित होकर, कोडगली ने 2014 की उच्च न्यायालय की आपराधिक अपील संख्या 100016 में एक अपील दायर की। याचिका यह थी कि

आई. डी. 1 की धारा 372 के प्रावधान के तहत पेश किया गया था, लेकिन इसे 10 जून, 2014 के एक फैसले और आदेश द्वारा बनाए रखने योग्य नहीं होने के कारण खारिज कर दिया गया था। उच्च न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया था कि आई. डी. 1 की धारा 372 का परंतुक 31 दिसंबर, 2009 से कानून की पुस्तक में आया था, लेकिन यह घटना उस तारीख से बहुत पहले हुई थी। इसलिए, अपील विचारणीय नहीं थी। रिलायंस को उच्च न्यायालय द्वारा राष्ट्रीय महिला आयोग पर रखा गया था। दिल्ली राज्य और अन्य

14. कोडगली ने तब उच्च न्यायालय में 2014 की आपराधिक अपील संख्या 100119 को प्राथमिकता दी। यह अपील इसके तहत दायर की गई थी

Cr.P.C की धारा 378 (4) के प्रावधान। 4 जुलाई, 2014 के एक निर्णय और आदेश द्वारा उच्च न्यायालय ने माना कि अपील नहीं थी

आई. डी. 1. की धारा 378 (4) के अनुसार, मजिस्ट्रेट के समक्ष शिकायत पर शुरू किए गए मामले में अपील दायर नहीं की गई थी। 15. इन परिस्थितियों में, कोडागली हमारे सामने 10 जून, 2014 और 4 जुलाई, 2014 के फैसले और आदेशों को चुनौती दे रहा है। यह उनका तर्क है कि बरी किए जाने के खिलाफ उनके पास कोई उपाय नहीं बचा है

अभियुक्त का। उनका निवेदन है कि अभियुक्तों में से एक विधानसभा का सदस्य है और यही कारण है कि राज्य ने बरी किए जाने के फैसले को चुनौती नहीं दी। हमारे लिए यह आवश्यक नहीं है कि हम विवाद के गुण-दोष या कोडगली द्वारा लगाए गए आरोपों में जाएं। यह कहने के लिए पर्याप्त है, हम केवल इस सवाल से चिंतित हैं कि क्या कोडगली द्वारा Cr.P.C की धारा 372 के प्रावधान के तहत दायर अपील बनाए रखने योग्य थी।

या नहीं।

अपराध के पीड़ित और उनके अधिकार

16. हाल के दिनों में, चार रिपोर्टों में अपराध के पीड़ितों के अधिकारों और उनके लिए उपलब्ध उपायों पर चर्चा की गई है। में पहली रिपोर्ट

6 (2010) 12 एस. सी. सी. 599 मल्लिकार्जुन कोडागली (मृत) आर. ई. पी. टीएचआर। एलआरएस। वी. कर्नाटक राज्य [मदन बी. लोकुर, जे.]

यह क्रम भारत के विधि आयोग की 154 वीं रिपोर्ट है।

अगस्त 1996। हालांकि इस रिपोर्ट में विशेष रूप से अपराध के पीड़ित के अपील दायर करने के अधिकार के बारे में बात नहीं की गई थी, लेकिन इसमें अपराध के पीड़ितों, पीड़ित को दिए जाने वाले मुआवजे और पीड़ितों के पुनर्वास के मुद्दों पर चर्चा की गई थी। पीड़ित सहायता कोष की स्थापना सहित पीड़ित।

17. दूसरी महत्वपूर्ण रिपोर्ट आपराधिक न्याय प्रणाली के सुधारों पर समिति की मार्च 2003 की रिपोर्ट है जिसे आमतौर पर आपराधिक न्याय प्रणाली के रूप में जाना जाता है।

न्यायमूर्ति मलिमथ समिति की रिपोर्ट। विरोधात्मक अधिकारों पर अध्याय में, पीड़ितों के अपील करने के अधिकार के उप-शीर्षक के तहत निम्नलिखित रूप में इसकी सिफारिश की गई है:

" 2.21 . पीड़ित या उसके प्रतिनिधि, जो मुकदमे में एक पक्ष है, को निचली अदालत द्वारा पारित किसी भी प्रतिकूल आदेश के खिलाफ अपील करने का अधिकार होना चाहिए। इस तरह की अपील में वह किसी कम अपराध या अपर्याप्तता के लिए दोषमुक्ति या दोषसिद्धि को चुनौती दे सकता है। सजा , या पीड़ित को देय मुआवजे के संबंध में। अपीलीय न्यायालय के पास साक्षय के मूल्यांकन और सजा देने के संबंध में निचली अदालत के समान शक्तियां होनी चाहिए।

18. इसके बाद, पीड़ितों को न्याय पर मूल अध्याय में, यह उल्लेख किया गया है कि कई क्षेत्राधिकारों में अपराध के पीड़ितों को यह अधिकार है कि - कार्यवाही में भाग लेना और लगी चोट के लिए मुआवजा प्राप्त करना। इसे इस प्रकार नोट किया गया था:

" 6.3 कई क्षेत्रों में मूल रूप से दो प्रकार के अधिकारों को मान्यता दी गई है।

अपराध के पीड़ितों के संबंध में विशेष रूप से महाद्वीपीय देशों में अधिकार क्षेत्र। वे, सबसे पहले, आपराधिक कार्यवाही में भाग लेने का पीड़ित का अधिकार (आरोपित होने का अधिकार, जानने का अधिकार, सुने जाने का अधिकार और सच्चाई की खोज में अदालत की सहायता करने का अधिकार) और दूसरा, आपराधिक अदालत से ही चोटों के लिए मुआवजे की मांग करने और प्राप्त करने का अधिकार है।

कार्यवाही का क्रम "।

19. इसके बाद, और अपराध के पीड़ितों के अधिकारों का विस्तार करते हुए, पैराग्राफ 6.5 में यह देखा गया कि "पीड़ित के अधिकार का विस्तार निचली अदालत द्वारा पारित किसी भी प्रतिकूल आदेश के खिलाफ अपील करने के लिए होना चाहिए। अपीलीय न्यायालय के पास बरी किए जाने के खिलाफ अपीलों की सुनवाई करने के लिए उतनी ही शक्तियां होनी चाहिए जितनी अब उसे दोषसिद्धि के खिलाफ

अपील पर विचार करना है। ऐसा कोई विश्वसनीय और उचित कारण नहीं है कि बरी किए जाने के खिलाफ अपील केवल उच्च न्यायालय में ही होनी चाहिए। "[2018] 13 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

20. इस आधार पर, न्यायमूर्ति मलिमथ समिति ने अपराध की पीड़ित को अपील करने में सक्षम बनाने के लिए निम्नलिखित सिफारिश की। अनुशंसा (उसी शीर्षक वाले अध्याय में की गई) इस प्रकार है:

" पीड़ित को किसी के खिलाफ अपील करने का अधिकार होगा।

अदालत द्वारा अभियुक्त को बरी करने, कम अपराध के लिए दोषी ठहराने, अपर्याप्त सजा देने या अपर्याप्त मुआवजा देने का प्रतिकूल आदेश पारित किया गया। ऐसी अपील उस अदालत में होगी जिसमें आम तौर पर ऐसे अदालत के दोषसिद्धि के आदेश के खिलाफ अपील की जाती है।

21. आपराधिक न्याय पर राष्ट्रीय नीति के मसौदे पर समिति की जुलाई 2007 की रिपोर्ट भी विचार करने योग्य है।

प्रोफेसर माधव मेनन समिति के रूप में जाना जाता है। जबकि यह

समिति विशेष रूप से अपराध के पीड़ित को अपील का अधिकार प्रदान करने से संबंधित नहीं है, यह आपराधिक न्याय के लिए पीड़ित अभिविन्यास और एक आरोपी व्यक्ति और अपराध के पीड़ित के संवैधानिक अधिकारों के बीच संतुलन प्रदान करने के लिए संदर्भित करती है। द्वारा दिए गए सुझावों में से एक

समिति मुकदमे की कार्यवाही में पीड़ित को शामिल करने की अनुमति देती है। इसलिए अप्रत्यक्ष रूप से, यह इस प्रकार है कि यदि किसी पीड़ित को मुकदमे की कार्यवाही में एक पक्ष के रूप में शामिल किया जाता है, तो पीड़ित को निश्चित रूप से प्रतिकूल आदेश, विशेष रूप से बरी करने के आदेश के खिलाफ अपील दायर करने का अधिकार होगा। 22. चौथी रिपोर्ट जो उल्लेख करने योग्य है, वह भारत के विधि आयोग की अप्रैल 2009 की 221 वीं रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट में,

भारत के विधि आयोग की सिफारिश इस आशय की थी कि जैसा कि कानून है, एक पीड़ित व्यक्ति बरी करने के आदेश के खिलाफ अपील दायर नहीं कर सकता है। हालांकि, एक पुनरीक्षण याचिका दायर की जा सकती है। पुनरीक्षण न्यायालय की शक्तियाँ सीमित होती हैं और इसमें शामिल प्रक्रिया बोझिल होती है और इसमें धन और समय की बर्बादी भी शामिल होती है। अत: विधि आयोग द्वारा यह सिफारिश की गई थी कि मजिस्ट्रेट द्वारा बरी किए जाने के आदेश के विरुद्ध पीड़ित को पुनरीक्षण न्यायालय में अपील दायर करने का अधिकार होना चाहिए। यह भी सिफारिश की गई कि शिकायत के मामलों में भी उच्च न्यायालय के बजाय सत्र न्यायालय में अपील की जानी चाहिए। ऐसे सभी मामलों में, पीड़ित व्यक्ति या शिकायतकर्ता

हालाँकि अपीलीय न्यायालय की अनुमति के साथ अपील करने का अधिकार होना चाहिए। विधि आयोग के विचार निम्नलिखित शब्दों में व्यक्त किए गए थे:

मल्लीकारजुन कोडागली (मृत) प्रतिनिधि। टीएचआर। एलआरएस। वी. कर्नाटक राज्य [मदन बी. लोकुर, जे.]

" 2.9 मजिस्ट्रेट द्वारा बरी किए जाने के आदेशों के खिलाफ सभी अपीलें धारा 378 के संशोधन से पहले उच्च न्यायालय में दायर की जा रही थीं।

2005 के अधिनियम 25 द्वारा। अब, पुलिस रिपोर्ट पर दायर मामलों में संज्ञेय और गैर-जमानती अपराधों के संबंध में मजिस्ट्रेटों द्वारा पारित बरी करने के आदेशों के खिलाफ अपील, उक्त धारा की उप-धारा (1) के खंड (ए) के माध्यम से, सत्र न्यायालय में दायर की जा रही है। लेकिन, शिकायत पर स्थापित किसी भी मामले में बरी किए जाने के आदेश के खिलाफ अपील दायर की जाती है उच्च न्यायालय, यदि शिकायतकर्ता द्वारा उसे किए गए आवेदन पर उसके द्वारा विशेष अनुमति दी जाती है, तो उक्त धारा की उप-धारा (4) के माध्यम से।

2.10 धारा 378 में बदलाव की आवश्यकता है ताकि सत्र न्यायालय में भी शिकायत मामलों में अपील दायर की जा सके।

उसके द्वारा विशेष अवकाश के अनुदान के अधीन।

2.11 इसके अलावा, वर्तमान में, मजिस्ट्रेटों (जहां अपराध संज्ञेय और गैर-जमानती है) या सत्र न्यायालयों द्वारा पारित बरी करने के आदेशों के खिलाफ, पुलिस रिपोर्ट पर दायर मामलों में अपील केवल जिला मजिस्ट्रेट या राज्य सरकार के कहने पर दायर की जा सकती है, जैसा भी मामला हो, धारा 378 की उप-धारा (1) के माध्यम से। ऐसे मामलों में पीड़ित व्यक्ति या सूचना देने वाला स्वयं अपील दायर नहीं कर सकता है। हालाँकि, वह एक संशोधन पसंद कर सकते हैं। यदि पुनरीक्षण न्यायालय को पता चलता है कि अभियुक्त को गलत तरीके से बरी कर दिया गया है, यह धारा 401 की उप-धारा (3) को देखते हुए उसे दोषी नहीं ठहरा सकता है, लेकिन उसे मामले को फिर से भेजना होगा। यह एक बोझिल प्रक्रिया है और इसमें धन और समय की बर्बादी होती है। इस प्रावधान में भी बदलाव की आवश्यकता है और ऐसे मामलों में भी, जहां जिला मजिस्ट्रेट या राज्य लोक अभियोजक को बरी करने के आदेश के खिलाफ अपील करने का निर्देश नहीं देता है, पीड़ित व्यक्ति या सूचना देने वाले को अपील करने का अधिकार होना चाहिए, हालांकि अपीलीय न्यायालय की अनुमति के साथ। इससे पीड़ित व्यक्ति को निचली अदालत द्वारा दर्ज किए गए तथ्यों के निष्कर्षों को चुनौती देने का अवसर भी मिलेगा। साथ ही, इससे देश में अधिक पारदर्शिता और जवाबदेही आएगी।

निचली न्यायपालिका में, वर्तमान में, बरी होने का प्रतिशत काफी अधिक है।

23. जाहिरा तौर पर इन सभी रिपोर्टों और अन्य रियाल के आधार पर 31 दिसंबर, 2009 से 30 दिसंबर को आई. डी. 1 की धारा 372 में संशोधन किया गया था। Cr.P.C की धारा 372।

आज का स्टैंड इस प्रकार है:

" 372. झूठ बोलने की कोई अपील नहीं जब तक कि अन्यथा प्रदान नहीं किया जाता है। - आपराधिक न्यायालय के किसी भी निर्णय या आदेश के खिलाफ कोई अपील नहीं की जाएगी, सिवाय इसके कि इस संहिता या उस समय लागू किसी अन्य कानून द्वारा प्रावधान किया गया है:

बशर्ते कि पीड़ित को अपील करने का अधिकार होगा

अभियुक्त को दोषमुक्त करने या कम अपराध के लिए दोषी ठहराने या अपर्याप्त ठहराने के न्यायालय द्वारा पारित किसी आदेश के विरुद्ध

क्षतिपूर्ति, और ऐसी अपील उस न्यायालय में होगी जिसमें आम तौर पर ऐसे न्यायालय के दोषसिद्धि के आदेश के खिलाफ अपील की जाती है।
राष्ट्रीय महिला आयोग के मामले में निर्णय

24. राष्ट्रीय महिला आयोग में, पीड़ित, 21 वर्ष की एक युवती ने 14 अप्रैल, 2003 को या उसके आसपास आत्महत्या कर ली थी। वह।

25. ट्रायल जज ने मृत्यु घोषणा पर भरोसा किया और 21 अप्रैल, 2008 के अपने फैसले और आदेश द्वारा आरोपी को दोषी ठहराया। अभियुक्त ने दिल्ली उच्च न्यायालय में एक अपील दायर की जिसने उसे एक मामले में बरी कर दिया। आई. पी. सी. की धारा 376 के तहत अपनी दोषसिद्धि बनाए रखते हुए आई. पी. सी. की धारा 376 के तहत अपराध। सजा को घटाकर पहले से गुजर चुकी सजा कर दिया गया जो लगभग पाँच साल और छह महीने की थी। उच्च न्यायालय का निर्णय और आदेश 9 फरवरी, 2009 का है।

26. उच्च न्यायालय के निर्णय से व्यथित महसूस करते हुए, राष्ट्रीय महिला आयोग ने इस न्यायालय की अंतर्निहित शक्तियों को स्वीकार करते हुए अपील करने के बजाय विशेष अनुमति के लिए याचिका दायर करने को प्राथमिकता दी। उस में

इस संदर्भ में इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि आई. डी. 1 की धारा 372 को ध्यान में रखते हुए. आई. डी. 1 द्वारा या अपील को प्राधिकृत करने वाले किसी अन्य कानून द्वारा प्रदान किए गए निर्णय या आदेश के अलावा किसी आपराधिक न्यायालय द्वारा कोई अपील नहीं की जाएगी। Cr.P.C की धारा 372 का परंतुक पीड़ित को अभियुक्त को बरी करने या उसे कम अपराध के लिए दोषी ठहराने या अपर्याप्त मुआवजे के अधिरोपण के आपराधिक न्यायालय के किसी भी आदेश के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील दायर करने का सीमित अधिकार देता है। इस न्यायालय ने तब निम्नलिखित टिप्पणी की:

" इस प्रकार परंतुक लागू नहीं हो सकता है क्योंकि यह वर्ष 2009 में आया था (वर्तमान घटना के लंबे समय बाद) और, किसी भी मामले में, केवल पीड़ित को अधिकार प्रदान करता है और इसकी परिकल्पना भी नहीं करता है

अपर्याप्त सजा के खिलाफ अपील करें। मल्लीकारजुन कोडागली (मृत) प्रतिनिधि।

27. यह आगे अभिनिर्धारित किया गया कि एक अपील एक का निर्माण है

कानून के अनुसार, यह किसी भी अंतर्निहित शक्ति के तहत बनाए रखने योग्य नहीं होगा। संविधान का अनुच्छेद 136 इस न्यायालय को राज्य या किसी प्रभावित निजी व्यक्ति के कहने पर याचिका पर विचार करने की विवेकाधीन शक्ति प्रदान करता है, लेकिन किसी को भी या किसी स्वतंत्र सार्वजनिक संगठन को अपील दायर करने की अनुमति देना एक खतरनाक सिद्धांत होगा और आपराधिक न्याय प्रणाली में पूरी तरह से भ्रम पैदा करेगा। इस आधार पर यह अभिनिर्धारित किया गया कि राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा दायर विशेष अनुमति याचिका विचारणीय नहीं थी।

28. इस न्यायालय के निर्णय का बल, जो प्रतीत होता है

उच्च न्यायालय द्वारा गलत समझा गया है, मनोरंजन के संबंध में है संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत किसी तीसरे पक्ष द्वारा एक याचिका। जहाँ तक आपराधिक मामलों का संबंध है, इस न्यायालय ने निस्संदेह यह अभिनिर्धारित किया कि संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत किसी तीसरे पक्ष को याचिका दायर करने की अनुमति देना।

यह खतरनाक होगा और भ्रम पैदा करेगा। इस न्यायालय का तर्क Cr.P.C की धारा 372 के परंतुक की ओर निर्देशित नहीं था। यह केवल पारित करने में है कि इस न्यायालय ने कहा कि मामले के तथ्यों पर, Cr.P.C की धारा 372 का परंतुक लागू नहीं हो सकता है क्योंकि यह घटना के बाद क़ानून की पुस्तक में आया था।

29. राष्ट्रीय महिला आयोग में इस न्यायालय का निर्णय

यह काफी स्पष्ट रूप से अलग है और उच्च न्यायालय द्वारा इस निर्णय पर निर्भरता अनुचित है।

पूर्ण पीठ के निर्णय

30. कुछ उच्च न्यायालयों द्वारा दिए गए पूर्ण पीठ के फैसलों में Cr.P.C की धारा 372 के प्रावधान की व्याख्या पर विचार किया गया है। अदालतें।

31. इसे संबोधित करने वाले पहले कुछ पूर्ण पीठ निर्णयों में से

भवुबेन दिनेशभाई मकवाना बनाम में गुजरात उच्च न्यायालय का निर्णय मुद्दा था। गुजरात राज्य और अन्य। इस मामले में विचार के लिए तैयार किए गए प्रश्न थे:

(i) क्या पीड़ित द्वारा दायर की गई अपील, धारा के प्रावधान के तहत अपने अधिकार का आह्वान करती है। 372 Cr.P.C, दोषमुक्ति को चुनौती देना, या कम अपराध के लिए दोषसिद्धि, या अपर्याप्त मुआवजा देना, नहीं है।

रखरखाव योग्य, इस आधार पर कि राज्य ने एक अपील दायर की है एक ही आदेश के विरुद्ध और एक ही उद्देश्य के लिए?

7 एम. ए. एन. यू./जी. जे./1137/2012-2012 की आपराधिक अपील सं. 238 का निर्णय 23 अक्टूबर, 2012 [2018] 13 एस. सी. आर.

((ii) क्या राज्य द्वारा दायर अपील पर इस आधार पर विचार नहीं किया जाना चाहिए कि पीड़ित द्वारा धारा 2 के परंतुक के तहत अपने अधिकार का आह्वान करते हुए की गई अपील। 372 उसी आदेश के विरुद्ध Cr.P.C का न्यायालय द्वारा स्वीकार किया जाता है? (iii) यदि पीड़ित इस न्यायालय के समक्ष अपील करना पसंद करता है, तो बरी किए जाने को चुनौती देते हुए, धारा के प्रावधान के तहत अपने अधिकार का आह्वान करता है। 372 क्या उस अपीलार्थी को पहले न्यायालय से अनुमति लेने की आवश्यकता है, जैसा कि राज्य द्वारा अपील किए जाने के मामले में आवश्यक है?

32. इन मुद्दों पर चर्चा करते हुए, पूर्ण पीठ ने कहा कि विधानमंडल ने अपील करने का एक ठोस वैधानिक अधिकार प्रदान किया है और इस तरह के अधिकार को न्यायिक निर्णय द्वारा कमजोर नहीं किया जा सकता है क्योंकि किसी पक्ष का अपील दायर करने का अधिकार एक स्वतंत्र, पर्याप्त और वैधानिक अधिकार है।

33. Cr.P.C की धारा 372 के प्रावधान का विश्लेषण करना और

इसे आई. डी. 1 की धारा 377 के साथ जोड़ते हुए पूर्ण पीठ ने कहा कि पीड़ित को "सजा की अपर्याप्तता" के खिलाफ अपील करने का कोई अधिकार नहीं है, यह अधिकार केवल राज्य के लिए उपलब्ध है और राज्य को "मुआवजे की अपर्याप्तता" के खिलाफ कोई अपील दायर करने का कोई अधिकार नहीं है, यह अधिकार केवल पीड़ित के लिए उपलब्ध है। विभिन्न अधिकारों की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए, यह आयोजित किया गया:

बरी किए जाने के खिलाफ अपील करने के अपने अधिकार के अलावा 'अपर्याप्त मुआवजा' अधिरोपित करना और अभियुक्त को कम अपराध के लिए दोषी ठहराना और इसलिए, अपने अधिकार को जोड़ना और इसे इस पर निर्भर करना राज्य के आग्रह पर अपील के अधिकार का प्रयोग न केवल अव्यवहारिक होगा, बल्कि योजना के विपरीत भी होगा।

और मूर्खता की ओर ले जाता है "।

34. पूर्ण पीठ ने तब निष्कर्ष निकाला कि कानून में सही स्थिति

यह होगा कि किसी अपराध के पीड़ित द्वारा अपील दायर करने का अधिकार एक स्वतंत्र और वैधानिक अधिकार है जो राज्य के अधिकारों के अधीन नहीं है।

अपील दायर करने के लिए। यह आगे निष्कर्ष निकाला गया कि प्रत्येक पीड़ित को अपील करने का एक स्वतंत्र अधिकार है और एक मामले में, अलग-अलग पीड़ितों की शिकायत पूरी तरह से अलग हो सकती है। यह इस प्रकार आयोजित किया गया था:

मल्लीकारजुन कोडागली (मृत) प्रतिनिधि। टीएचआर। एलआरएस। वी. कर्नाटक राज्य [मदन बी. लोकुर, जे.]

(धारा के परंतुक में उल्लिखित सीमित आधारों पर। संहिता का 372) एक अलग और स्वतंत्र वैधानिक अधिकार है और यह राज्य के अपील के अधिकार पर निर्भर नहीं है या उसके अधीन नहीं है। दूसरे शब्दों में, पीड़ित और राज्य/अभियोजन पक्ष दोनों दूसरे द्वारा अधिकार के प्रयोग पर निर्भर हुए बिना स्वतंत्र रूप से अपील दायर कर सकते हैं। इसके अलावा, जिस कार्य या चूक के लिए अभियुक्त पर आरोप लगाया गया है, उससे अधिक हो सकता है
एक पीड़ित और पीड़ितों को हुई हानि एक पीड़ित से दूसरे पीड़ितों में भिन्न हो सकती है। इसलिए, ऐसे पीड़ितों में से प्रत्येक को अपील करने का अलग अधिकार होगा और ऐसी अपीलों में, प्रत्येक अपीलार्थी की शिकायत अलग-अलग हो सकती है। उदाहरण के लिए, आगजनी के कार्य में जब अलग-अलग व्यक्तियों की संयुक्त संपत्ति को आग लगा दी जाती है, तो प्रत्येक सह-भागीदार को होने वाला नुकसान अलग-अलग हो सकता है। ऐसे मामले में, प्रत्येक सह-हिस्सेदार को एक अलग अधिकार है -

अपील और किसी का ऐसा अधिकार दाखिल करने पर भी निर्भर नहीं करता है

एक अन्य पीड़ित द्वारा ऐसी अपील।"

35. पहले दो प्रश्नों का उत्तर गुजरात उच्च न्यायालय ने यह मानते हुए दिया कि पीड़ित द्वारा दायर अपीलें विचारणीय थीं। 36. तीसरे प्रश्न पर, पूर्ण पीठ ने नोट किया कि यदि पीड़ित शिकायत की अपील को मुआवजे की अपर्याप्तता तक सीमित करता है

या कम अपराध के लिए सजा, यह बरी होने के खिलाफ अपील नहीं बन जाती है, लेकिन अपील वास्तव में कला के अर्थ के भीतर "किसी अन्य सजा या आदेश के खिलाफ निर्देशित की जाती है जो बरी होने का आदेश नहीं है"। 115 (ख) सीमा अधिनियम, 1963 और इस प्रकार, विशेष छुट्टी लेने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। पूर्ण पीठ ने यह विचार व्यक्त किया कि आई. डी. 1 की धारा 378 (4) के प्रयोजनों के लिए एक पीड़ित जो शिकायतकर्ता नहीं है, वह उस धारा के दायरे में नहीं आएगा और उसे उसमें दिए गए विशेष अवकाश के प्रावधान का सहारा लेने की आवश्यकता नहीं होगी। यह आयोजित किया गया था:

" इसलिए, हमारे समक्ष मामले में, विधायिका ने पीड़ित को अपील करने का अधिकार प्रदान करते हुए, जो शिकायतकर्ता नहीं है, छुट्टी या विशेष छुट्टी लेने की कोई शर्त नहीं लगाई है, हम ऐसी शर्त का अनुमान नहीं लगा सकते हैं और पीड़ित पर भी इसे लागू नहीं कर सकते हैं, हालांकि, विधायिका ऐसे [2018] 13 एस. सी. आर. के अस्तित्व के बारे में काफी सचेत थी।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

शिकायतकर्ता द्वारा अपील के मामले में प्रावधान और परिणामी संशोधन के बिना उस प्रावधान को बनाए रखा है जिससे

इसका इरादा स्पष्ट है कि विशेष अवकाश का प्रावधान लागू नहीं है यदि वह शिकायतकर्ता नहीं है तो बरी किए जाने के खिलाफ पीड़ित द्वारा की गई अपील के लिए।

तब तीसरे प्रश्न का उत्तर निम्नलिखित शब्दों में दिया गया:

" यदि पीड़ित भी शिकायतकर्ता और अपीलकर्ता है बरी किए जाने के विरुद्ध होने पर, उसे धारा में दिए गए प्रावधान के अनुसार छुट्टी लेने की आवश्यकता होती है। 378 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत, लेकिन यदि वह शिकायतकर्ता नहीं है, तो उसे किसी भी छुट्टी के लिए आवेदन करने या प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है। मुआवजे की अपर्याप्तता या कम अपराध पर सजा के खिलाफ अपील के लिए, पीड़ित के कहने पर किसी छुट्टी की आवश्यकता नहीं है, चाहे वह शिकायतकर्ता हो या नहीं।

37. हमारी राय में, गुजरात उच्च न्यायालय ने एक पीड़ित के रूप में एक पीड़ित और एक पीड़ित के रूप में एक कृत्रिम और अनावश्यक अंतर किया।

बरी किए जाने के आदेश के खिलाफ अपील दायर करने के संबंध में शिकायतकर्ता। Cr.P.C की धारा 372 का परंतुक इस तरह के किसी भी भेद को प्रस्तुत या शामिल नहीं करता है।

38. अगला महत्वपूर्ण निर्णय कलकत्ता उच्च न्यायालय की खंड पीठ द्वारा महाफुजा बानो बनाम में दिया गया है। मो. असदुल इस्लाम और राज्य। इस मामले में अभियोजक ने 13 तारीख को शिकायत दर्ज कराई।

दिसंबर, 2003 और बरी करने का निर्णय और आदेश निचली अदालत द्वारा 22 दिसंबर, 2009 को दिया गया था। उच्च न्यायालय में एक अपील (संभवतः) 31 दिसंबर, 2009 के बाद ही दायर की गई थी। अपील की स्थिरता पर विचार करते हुए, उच्च न्यायालय ने भावुबेन दिनेशभाई मकवाना मामले में गुजरात उच्च न्यायालय के फैसले का उल्लेख किया।

39. गौरंगा देबनैह बनाम में गुवाहाटी उच्च न्यायालय की अगरतला पीठ के एक खंड पीठ के फैसले का भी संदर्भ दिया गया था।

त्रिपुरा राज्य। उस मामले में कथित अपराध 14 नवंबर, 2006 को हुआ था और बरी करने का फैसला 30 सितंबर, 2010 को दिया गया था। उच्च न्यायालय ने माना कि पीड़ित द्वारा बरी किए जाने के खिलाफ दायर अपील विचारणीय है। यह अभिनिर्धारित किया गया था कि यदि Cr.P.C की धारा 372 के परंतुक को दी गई व्याख्या यह है कि घटना की तारीख को उपार्जित अपील करने का अधिकार है, तो यह अनुचित होगा।

8 (2013) 1 कैल एल. टी. 109

9 2011 (4) जी. एल. टी. 379 मलिकार्जुन कोडागली (मृत) आर. ई. पी. टीएचआर। एलआरएस। वी. कर्नाटक राज्य [मदन बी. लोकुर, जे.]

और अनुचित, विशेष रूप से इसलिए कि Cr.P.C की धारा 372 के प्रावधान को संभावित प्रभाव दिया गया है।

40. एक विद्वान एकल द्वारा लिए गए निर्णय का भी संदर्भ दिया गया था

टी. बालकृष्णन मास्टर बनाम में केरल उच्च न्यायालय का न्यायाधीश निर्णय। के. एम. रामचंद्रन मास्टर। उस मामले में यह अभिनिर्धारित किया गया था कि आई. डी. 1 की धारा 372 का परंतुक पीड़ित को कुछ परिस्थितियों में अपील करने का ठोस अधिकार प्रदान करता है। अधिकार न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय पर निर्भर है न कि उस घटना के संबंध में जो

अभियोजन को जन्म दिया।

41. कलकत्ता उच्च न्यायालय ने भी इस प्रश्न पर विचार किया कि क्या

बरी किए जाने के निर्णय के साथ अंतिमता जुड़ी हुई है और क्या उस अंतिमता को पीड़ित को बाद में दिए गए अधिकार के आधार पर बाधित किया जा सकता है। यह अभिनिर्धारित किया गया कि दोषमुक्त किए जाने के निर्णय को अंतिम रूप नहीं दिया गया था क्योंकि पीड़ित को पुनरीक्षण याचिका दायर करने का अधिकार था और राज्य को अपील दायर करने का अधिकार था। Cr.P.C की धारा 372 के प्रावधान ने जो कुछ भी किया था, वह संशोधन के अधिकार को अपील के अधिकार से बदलना था।

42. जबकि यह सच है कि एक के बीच एक गुणात्मक अंतर है

पुनरीक्षण और एक अपील, कलकत्ता उच्च न्यायालय ने विधि आयोग की 30 अप्रैल, 2009 की 221 वीं रिपोर्ट की ओर ध्यान आकर्षित किया। इस रिपोर्ट में इस अंतर को नोट किया गया और कहा गया कि संशोधन प्रक्रिया थी बोझिल और इसमें समय और धन की बर्बादी शामिल थी। अतः विधि आयोग द्वारा यह सिफारिश की गई थी कि पीड़ित व्यक्ति को

विचारण न्यायालय द्वारा अभिलिखित तथ्य के निष्कर्षों को चुनौती दें। 43. उपरोक्त निर्णयों और दिए गए कारणों के आधार पर, कलकत्ता उच्च न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि यह सुझाव देने के लिए कुछ भी नहीं था कि

पीड़ित Cr.P.C की धारा 372 के प्रावधान के तहत अपील करने के अधिकार का प्रयोग केवल तभी कर सकता है जब यह "कार्रवाई के कारण" (कथित अपराध या घटना) या उस तारीख को मौजूद हो जिस पर शिकायत दर्ज की गई थी।

44. एक छोटे से अंतराल के बाद, यह मुद्दा फिर से सामने आया

विचार और इस बार टाटा स्टील बनाम में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ के समक्ष। आत्म नल उत्पाद Ltd.[11] 11 10 1 ओ सी. आर. एल. 2011 का एम. ए. संख्या 7423,22 सितंबर, 2011 को तय किया गया-एम. ए. एन. यू./के. ई./1620 /

2011

1 11 (2014) 173 (1) पी. एल. आर. 1 [2018] 13 एस. सी. आर.

निर्णय विस्तृत से कहीं अधिक है और सात प्रश्नों में से केवल दो हैं। विचार के लिए बनाए गए प्रारूप वर्तमान चर्चा के लिए प्रासंगिक हैं। दो प्रश्न इस प्रकार हैं:

(1) क्या संशोधित दंड प्रक्रिया संहिता के तहत पीड़ित के 'अधिकार' हैं। पी. सी. उन लोगों के लिए सहायक और सहायक हैं जिन्हें राज्य का अनन्य क्षेत्र माना जाता है?

(2) क्या 31 दिसंबर, 2009 से अंत:स्थापित दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 372 का परंतुक संभावित या पूर्वव्यापी प्रकृति का है और क्या उक्त परंतुक को अंत:स्थापित करने से पहले बरी करने के आदेश के खिलाफ लंबित पुनरीक्षण याचिका को अपील में परिवर्तित किया जा सकता है और सक्षम अधिकार क्षेत्र के न्यायालय में स्थानांतरित किया जा सकता है?

45. पहले प्रश्न का उत्तर देते हुए, उच्च न्यायालय ने कहा कि Cr.P.C की योजना, विभिन्न संशोधनों के बाद, अधिकार प्रदान करती है

शिकायत मामलों में अभियुक्त; राज्य; पीड़ित और शिकायतकर्ता को अपील करें। यह देखा गया कि यदि कोई पीड़ित भी पुलिस मामले में शिकायतकर्ता है, तो उस पीड़ित को किसी आदेश के खिलाफ अपील दायर करने के लिए Cr.P.C की धारा 378 के तहत छुट्टी लेने की आवश्यकता नहीं है।

46. असहमति के कारण इस तथ्य से उत्पन्न होते हैं कि विधानमंडल मौजूदा क़ानून के प्रावधानों से अवगत था, जिसमें बरी करने के आदेश के खिलाफ अपील दायर करने में राज्य पर लगाई गई बाधा भी शामिल थी। हालाँकि, उस बंधन को Cr.P.C की धारा 372 के प्रावधान के तहत पीड़ित को दिए गए अपील के अधिकार पर नहीं रखा गया था। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ का विचार था कि यदि ऐसी बेड़ियों को पीड़ित की दाहिनी ओर रखा जाता है, तो यह Cr.P.C की धारा 372 के परंतुक को फिर से लिखने के बराबर होगा।

विधायी इच्छा को पराजित करें। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने निम्नलिखित शब्दों में अपनी राय व्यक्त की:

" न्यायालय हमेशा यह मान लेगा कि कोई नया अधिनियम बनाते समय या संशोधन करते समय, विधानमंडल मौजूदा क़ानून के प्रावधानों से पूरी तरह से अवगत था। इस प्रकार संसद को राज्य द्वारा अपील की प्रस्तुति या संहिता की धारा 378 (3) और (4) के माध्यम से शिकायत पर उसके द्वारा लगाए गए बंधनों की पूरी जानकारी थी, फिर भी उसने किसी भी बाधा से मुक्त 'पीड़ित' को अपील करने का अधिकार दिया।

टीएचआर। एलआरएस। वी. कर्नाटक राज्य [मदन बी. लोकुर, जे.]

संहिता की धारा 372 के प्रावधान के तहत। विधायी नीति को 'पीड़ित' को अपील करने का बिना शर्त अधिकार देना इस प्रकार बड़ा अधिकार है। वास्तव में यह केवल धारा के प्रावधान को फिर से लिखने के बराबर नहीं होगा।

372 लेकिन विधायी इच्छा को भी हरा देगा यदि प्रतिबंध

धारा 378 (3) और (4) में स्पष्ट रूप से अंतर्निहित संहिता की धारा 372 के प्रावधान में भी निहित हैं। चूँकि धारा 378 (3) के तहत अपील करने की अनुमति केवल ऐसी अपीलों तक ही सीमित है जो उप-धारा के तहत राज्य या केंद्र सरकारों द्वारा प्रस्तुत की जाती हैं।

(1) (बी) या उप-संहिता की धारा 378 की धारा (2) (बी), देय के साथ

इस न्यायालय की खंड पीठ द्वारा श्रीमती. राम कौर का मामला (उपर्युक्त) 1 2 कि एक 'पीड़ित' को छुट्टी/विशेष लेने की आवश्यकता होगी

के तहत अपील करने के अपने अधिकार का प्रयोग करते हुए अपील करने की अनुमति

संहिता की धारा 372 के लिए परंतुक और उसी को निरस्त करें

हद तक। इसी सादृश्य पर, हम सहमत होने में अपनी असमर्थता व्यक्त करते हैं

गुरु प्रसाद में पटना उच्च न्यायालय द्वारा लिए गए दृष्टिकोण के साथ

यादव का मामला (ऊपर)। 1 3 उपरोक्त चर्चा का संचयी प्रभाव यह है कि संशोधित संहिता के तहत 'पीड़ित' के अधिकार पर्याप्त हैं और नहीं।

केवल क्रूर पुरुष इसलिए ये सहायक या सहायक नहीं हैं। राज्य के लोगों के लिए और पूरी तरह से अतुलनीय हैं क्योंकि अधिकार या कर्तव्यों के दोनों समूह अलग-अलग और अपने-अपने क्षेत्रों में काम करते हैं।

इस प्रकार हम मानते हैं कि एक 'पीड़ित' 'छुट्टी' लेने के लिए बाध्य नहीं है या

' के तहत अपील प्रस्तुत करने के लिए उच्च न्यायालय की विशेष अनुमति

संहिता की धारा 372 का प्रावधान "। 47. दूसरे प्रश्न के संबंध में, उच्च न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला

अपील करने का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। नतीजतन, अपरिहार्य

उपयोग यह होगा कि पीड़ित को अपील करने का अधिकार दिया जाएगा

केवल 31 दिसंबर, 2009 से प्रभावी और लागू करने योग्य। एफ. आई. आर. दर्ज करने की तारीख चाहे जो भी हो या

घटना से। उच्च न्यायालय ने निम्नलिखित निर्णय दिया:

" चूँकि अपील करने का अधिकार एक मौलिक अधिकार है और इसका अनुमान नहीं लगाया जा सकता है

निहितार्थ द्वारा जब तक कि क़ानून स्पष्ट रूप से ऐसा प्रदान नहीं करता है, केवल

अपरिहार्य निष्कर्ष यह मानना होगा कि अपील करने का अधिकार

राम कौर @जसविंदर कौर बनाम। जगबीर सिंह उर्फ जबी और अन्य, मनु/पीएच /

0/2010 1 अप्रैल, 2010 को निर्णय लिया गया

1 प्रसाद यादव बनाम। बिहार राज्य, 2011 की आपराधिक अपील संख्या 582 [2018] 13 एस. सी. आर.

संहिता की धारा 372 के प्रावधान के तहत 'पीड़ित' को दिया जाना संभावित है और यह 31 दिसंबर, 2009 से ही लागू करने योग्य हो गया है। एक 'पीड़ित' को किसी भी मामले में अपील करने का अधिकार है।

धारा 372 के परंतुक में निर्दिष्ट आदेश का प्रकार यदि ऐसा आदेश 31 दिसंबर, 2009 को या उसके बाद पारित किया गया है, चाहे प्राथमिकी दर्ज करने की तारीख या घटना की तारीख आदि कुछ भी हो। अधिक विशिष्ट होने के लिए, यह स्पष्ट किया जाता है कि यह अपील किए जाने वाले आदेश के पारित होने की तारीख है न कि किसी अन्य तथ्य स्थिति से, जो 'पीड़ित' की अपील के अधिकार को निर्धारित करेगी। इसके परिणामस्वरूप, यह अभिनिर्धारित किया जाता है कि 31 दिसंबर, 2009 से पहले पारित आदेश द्वारा अभियुक्त को बरी किए जाने के विरुद्ध पुनरीक्षण याचिका सहित 'पीड़ित' द्वारा प्राप्त उपचार को धारा 372 के प्रावधान के तहत अपील में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है और इसे उच्च न्यायालय द्वारा पुनरीक्षण अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने के लिए तय किए गए मापदंडों के अनुसार निपटाया जाना चाहिए।

48. दिल्ली उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ ने भी राम फल बनाम में इस मुद्दे पर विचार किया। राज्य & Ors.[1]4 द्वारा विचार किया गया प्रश्न दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा:

" क्या अपीलीय उपचार (आई. डी. 1 की धारा 372 के परंतुक के तहत) केवल ऐसे अपराधों के संबंध में उपलब्ध है जो उस तारीख को किए गए थे जब कानून द्वारा अपीलीय अधिकार प्रदान किया गया था या अपीलीय अधिकार निर्णय की तारीख के संबंध में उपलब्ध होगा या अपीलीय उपचार समय के दो बिंदुओं यानी अपराध किए जाने की तारीख या अपील अधिकार कब दिया गया था, के संदर्भ के बिना है।

कानून द्वारा प्रदत्त, (2009 का अधिनियम संख्या 5 से प्रभावी)

31.12.2009) . "

49. सवाल का जवाब देते हुए, दिल्ली उच्च न्यायालय ने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा टाटा स्टील का हवाला दिया। दिल्ली।

उच्च न्यायालय ने इस निष्कर्ष का उल्लेख किया कि एक पीड़ित "धारा 372 के परंतुक में निर्दिष्ट किसी भी प्रकार के आदेश के संबंध में अपील करने का हकदार है यदि ऐसा आदेश 31 दिसंबर, 2009 को या उसके बाद पारित किया गया है।

एफ. आई. आर. दर्ज करने की तारीख या घटना की तारीख चाहे जो भी हो

आदि। "

142015 (151) डी. आर. जे 562

1 52014 (1) पी. एल. जे. आर. 377 मलिकार्जुन कोडागली (मृत) आर. ई. पी. टीएचआर। एलआरएस। वी. कर्नाटक राज्य [मदन बी. लोकुर, जे.]

विलोइंग मार्गों को संदर्भित किया गया था और उन पर भरोसा किया गया था। में कहा गया है कि

ईश्वर मंडल:

" संहिता की धारा 372 का प्रावधान दो भागों में है। का पहला खंड उक्त परंतुक 'बशर्ते कि' से शुरू होता है और इसके साथ समाप्त होता है

' अपर्याप्त मुआवजा 'और पीड़ित में एक अधिकार पैदा करता है

अदालत द्वारा पारित किसी भी आदेश के खिलाफ अपील करना पसंद करते हैं (i)

अभियुक्त को दोषमुक्त करना या (ii) कम अपराध के लिए दोषी ठहराना या

((ग) अपर्याप्त क्षतिपूर्ति अधिरोपित करना। इसके बाद, डाल कर

ऐसी अपील को प्राथमिकता देने के लिए किस मंच द्वारा सजा दी गई है पहचान की गई, जो कानून के प्रक्रियात्मक भाग से संबंधित है। अत: कहा गया है कि

परंतुक में दोनों मूल भाग होते हैं, जो पीड़ित में अधिकार पैदा करते हैं।

मंच की पहचान करके एक अपील और प्रक्रियात्मक भाग को प्राथमिकता देना।

कानून का हिस्सा संभावित रूप से संचालित होता है, जब तक कि पूर्वव्यापी नहीं किया जाता है, और प्रक्रियात्मक भाग को इसके भीतर पूर्वव्यापी माना जाता है

निर्धारित सीमाएँ।

XXX

XXX

XXX

XXX

केंद्र सरकार, अधिसूचना सं। एस. ओ.

3313 (ई) दिनांक 30 दिसंबर, 2009, नियत 31 वां दिन

बल, जो भारत के राजपत्र, विस्तार में प्रकाशित हुआ था। , Pt.II, S. 3 (ii), दिनांकित 30-12-2009। इसलिए, किसी भी स्पष्ट इरादे के अभाव में

इसके विपरीत विधानमंडल द्वारा अधिसूचित, यह निष्कर्ष निकाला जाना है

कि पीड़ित का उक्त परंतुक के संदर्भ में अपील करने का अधिकार

धारा 372, में सभी मामलों के पीड़ितों के लिए उपलब्ध हो गया

कौन से आदेश किसी आपराधिक अदालत द्वारा बरी करने के लिए पारित किए गए थे

अभियुक्त या उसे कम अपराध के लिए दोषी ठहराना या आरोपित करना

अपर्याप्त मुआवजा, 31 दिसंबर, 2009 को या उसके बाद। में। दूसरे शब्दों में, आपराधिक अदालत के फैसले की तारीख होनी चाहिए

घटना की तारीख, मामले की स्थापना, संज्ञान या प्रतिबद्धता।"

51. दिल्ली उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि स्थापित कानून के आलोक में

ऊपर उल्लिखित, यह इन निर्णयों के साथ सम्मानजनक सहमति में था।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

52. बलदेव शर्मा बनाम में राजस्थान उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ। गोपाल और अन्य 1 6 ने (दूसरों के बीच) निम्नलिखित दो पर विचार किया

सवाल -

(i) क्या 2009 के संशोधन अधिनियम संख्या 5 द्वारा प्रस्तुत धारा 372 का परंतुक, जिसे 31.12.2009 पर लागू किया गया है, उन मामलों में प्रभावी हो सकता है जहां अपराध 31.12.2009 से पहले हुआ था और इस तरह पीड़ित को अपील करने का अधिकार दिया गया था। (क) क्या निचली अदालत ने अभियुक्त को बरी कर दिया है या (ख) अभियुक्त को कम अपराध के लिए दोषी ठहराया है या (ग) अपर्याप्त मुआवजा लगाया है। हालाँकि ऐसे मामलों में निर्णय निम्नलिखित न्यायालय द्वारा पारित किया जा सकता है

31.12.2009 .

((ii) क्या धारा 372 के प्रावधान के तहत पीड़ित द्वारा की गई अपील पर भी उसी तरीके से विचार किया जाना आवश्यक है जैसे एक अपील पर किया जाता है।

धारा 378 Cr.P.C के तहत राज्य द्वारा दायर और धारा 378 के प्रावधानों को धारा के प्रावधानों में पढ़ने की आवश्यकता है।

372 Cr.P.C. पीड़ितों द्वारा दायर अपीलों के संबंध में।

53. यह अभिनिर्धारित किया गया था, टाटा स्टील और परमेश्वर मंडल में एक ही अंश पर भरोसा करते हुए कि "निर्णय उक्त तिथि को या उसके बाद पारित किए गए थे।

[31 दिसंबर, 2009] वे हैं जिनके संबंध में, अपराध की तारीख चाहे जो भी हो, पीड़ित आवेदन दायर करने के अधिकार का लाभ उठा सकता है।

अपील करने की अनुमति की मांग करना। "

डिवीजन बेंच के फैसले

54. उच्च न्यायालय की खंड पीठ द्वारा दिए गए पहले कुछ निर्णयों में खंड द्वारा पारित निर्णय और आदेश शामिल थे।

गौरंगा देबनायह में गुवाहाटी उच्च न्यायालय की पीठ। इस मामले में, कथित घटना 14 नवंबर, 2006 को हुई थी और निचली अदालत द्वारा 30 सितंबर, 2010 को बरी करने का फैसला और आदेश पारित किया गया था। Cr.P.C की धारा 372 के परंतुक के तहत अपील की स्थिरता के सवाल पर डिवीजन बेंच

ने विचार के लिए निम्नलिखित प्रश्न: क्या उसे (पीड़ित को) संहिता की धारा 372 के प्रावधान का लाभ लेते हुए विवादित फैसले और बरी करने के आदेश के खिलाफ अपील करने का कोई अधिकार है, जिसे प्रभावी संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया है और यदि ऐसा है, तो वर्तमान माफी याचिका बनाए रखने योग्य है?

16 2017 (3) आरएलडब्ल्यू 2604 (राज.)

मल्लीकारजुन कोडागली (मृत) प्रतिनिधि। टीएचआर। एलआरएस। वी. कर्नाटक राज्य [मदन बी. लोकुर, जे.]

55. इस प्रश्न का उत्तर देते हुए, गुवाहाटी उच्च न्यायालय ने वह विचार व्यक्त किया जो पहले ही ऊपर व्यक्त किया जा चुका है और इसे यहाँ दोहराने की आवश्यकता नहीं है। उच्च न्यायालय को यह कहना था:

" अब सवाल यह है कि क्या संहिता के संशोधन को प्रभावी बनाने से पहले हुई घटना के लिए अपील की जा सकती है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि यदि कोई न्यायालय यह मानता है कि घटना की तारीख से, अपील करने का अधिकार अर्जित हुआ है, तो जाहिर है कि यह अनुचित और अनुचित होगा, और भी अधिक, जब

संशोधन को संभावित प्रभाव दिया जाता है और यह सीमा अधिनियम के अनुच्छेद 114 के तहत निर्धारित सीमा कानून के खिलाफ भी जाएगा। इस मामले में हमारे लिए चर्चा करना आवश्यक नहीं है।

यहां तक कि वह पहलू, जो याचिकाकर्ता के अपील करने के अधिकार के रूप में, निचली अदालत द्वारा सत्र मामले में निर्णय के बाद ही अर्जित किया गया था, यानी जिस तारीख को निर्णय दिया गया था, यानी 30.9.2010 पर।

56. परमेश्वरमंडल में एक पीड़ित द्वारा 28 अगस्त, 2012 के फैसले और बरी करने के आदेश के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील दायर की गई थी। उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने अपील की स्थिरता पर सहायता मांगी। दलीलें सुनने के बाद, न्यायालय ने Cr.P.C की धारा 372 की भाषा और Cr.P.C की धारा 377 और 378 की भाषा में अंतर को नोट किया। उच्च न्यायालय ने नोट किया कि Cr.P.C की धारा 372 सकारात्मक शब्दों में बनाई गई थी।

इसके अलावा, Cr.P.C की धारा 372 के परंतुक में 'होगा' शब्द का उपयोग, Cr.P.C की धारा 377 और 378 में 'हो सकता है' शब्द के उपयोग के विपरीत, एक स्पष्ट संकेत देता है कि एक पीड़ित का अपील दायर करने का अधिकार उसके अधिकारों की तुलना में उच्च आधार पर रखा गया था।

राज्य, या यहाँ तक कि अभियुक्त भी। इस संबंध में उच्च न्यायालय का यह कहना था:

" ध्यान देने योग्य बात यह है कि अपील करने का यह अधिकार, जो स्पष्ट रूप से सकारात्मक शब्दों में है, पीड़ित को धारा 372 में ही उक्त परंतुक को सम्मिलित करके दिया गया है, जो कि अध्याय की प्रारंभिक धारा है, न कि धारा 377 या 378 में किसी भी सम्मिलन द्वारा, जो अपर्याप्त सजा और बरी होने के खिलाफ अपील से संबंधित है। धारा 377 और 378 के शब्दों के विपरीत, जो स्पष्ट रूप से प्रावधानों को सक्षम करते हैं, और केवल जिला मजिस्ट्रेट, राज्य सरकार, केंद्र सरकार और शिकायतकर्ता को 'मई' शब्द का उपयोग करके अपील करने की स्वतंत्रता देते हैं, एक पीड़ित को धारा 372 के उक्त परंतुक के तहत [2018] 13 एस. सी. आर. दिया गया है।

'अपील करने का अधिकार होगा' अभिव्यक्ति का उपयोग करके अपील करने का अधिकार। यह भी ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि, जबकि खंड में

378 , उपखंड के तहत बरी किए जाने के खिलाफ किसी भी अपील पर विचार करने के लिए छुट्टी देने की शर्त को पूर्ववर्ती बना दिया गया है।

धारा (1) और (2), और उप-धारा (4) के तहत पसंद की गई शिकायतकर्ता द्वारा अपील पर विचार करने के लिए विशेष अनुमति का अनुदान, धारा 372 के उक्त परंतुक में ऐसी कोई योग्यता निर्धारित नहीं है।

एक पीड़ित के लिए बरी करने के आदेश के खिलाफ, या एक कम अपराध के लिए दोषसिद्धि के खिलाफ या अपर्याप्त मुआवजे के अधिरोपण के खिलाफ अपनी अपील बनाए रखने के लिए। अतः, इस न्यायालय की राय में,

विधानमंडल ने एक सचेत कार्य द्वारा, धारा 372 के उक्त परंतुक के संदर्भ में संहिता के तहत अपील करने के लिए पीड़ित के अधिकार को अभियोजन एजेंसी या शिकायतकर्ता के अपील प्रस्तुत करने के अधिकार की तुलना में बहुत अधिक उच्च स्तर पर रखा है। विधायिका के किसी भी अन्य इरादे को इस तथ्य से खारिज किया जाता है कि, यदि ऐसा होता, तो उसने धारा 377 या 378 में एक नई उप-धारा डाल दी होती, जिसमें उसके अधिकार को सीमाओं के साथ रखा जाता और

पीड़ित के इस अधिकार को अध्याय के शुरुआती खंड में ही डालने के बजाय अभियोजन एजेंसी या शिकायतकर्ता के बराबर योग्यताएं।

57. इसके बाद, उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित करने के लिए अपने कारण और निष्कर्ष दिए कि आपराधिक अदालत के फैसले की तारीख

अनिवार्य रूप से परीक्षण के आवेदन के लिए प्रासंगिक तिथि के रूप में माना जाता है घटना की तारीख, मामले की स्थापना, संज्ञान या प्रतिबद्धता के बावजूद Cr.P.C की धारा 372 के प्रावधान के तहत निर्धारित तीन आकस्मिकताओं के तहत पीड़ित द्वारा अपील की स्थिरता। दिल्ली उच्च न्यायालय ने संबंधित परिच्छेदों का उल्लेख किया था

पटना उच्च न्यायालय के निर्णय और हमने उपरोक्त इन अंशों को निकाला है और उन्हें यहां दोहराने की आवश्यकता नहीं है।

58. केरल उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने वनजा के. सी. बनाम में इस मुद्दे पर विचार किया। केरल राज्य और इस मामले में कथित अपराध या घटना 27 जनवरी, 2005 को हुई थी और निचली अदालत द्वारा बरी किए जाने का फैसला 24 फरवरी, 2010 को दिया गया था। उच्च न्यायालय द्वारा विचार किया गया प्रश्न थाः

" क्या पीड़ित को धारा 372 Cr.P.C के प्रावधान के तहत अपील करने का अधिकार मिलता है।

17 1 7 आई. एल. आर. 2016 (2) केरल 713 मलिकार्जुन कोडागली (मृत) आर. ई. पी. टीएचआर। एलआरएस। वी. कर्नाटक राज्य [मदन बी. लोकुर, जे.]

इससे पहले और निर्णय की तारीख के बाद घोषित किया गया था

2009 के अधिनियम 5 का प्रारंभ?

59. डिवीजन बेंच ने उच्च न्यायालय के पहले के फैसले पर भरोसा किया

बालकृष्णन मास्टर में न्यायालय जो पत्र और भावना का उल्लेख करता है

कानून। केरल उच्च न्यायालय के निर्णय से निम्नलिखित अंश

न्यायालय निर्देशात्मक है:

" सवाल यह है कि क्या संहिता की धारा 372 के प्रावधान द्वारा पीड़ित को दिए गए अपील के अधिकार का निर्धारण कम अपराध के लिए आरोपी को बरी करने या दोषी ठहराए जाने के आदेश की तारीख या अपर्याप्त मुआवजा प्रदान करने के आदेश के संबंध में किया जाना है, या, घटना की तारीख के संबंध में।

अभियुक्त पर अभियोजन को जन्म देना। 2009 के संशोधन अधिनियम 5 द्वारा पीड़ित को निर्दिष्ट कुछ परिस्थितियों में अपील करने का मौलिक अधिकार दिया गया है। 2009 का अधिनियम 5 31.12.2009 से लागू हुआ है। ऐसा अधिकार पीड़ित के लिए उपलब्ध है जहाँ निर्णय दिया जाता है।

न्यायालय द्वारा 31.12.2009 को या उसके बाद, बशर्ते कि परंतुक द्वारा कवर की गई तीन परिस्थितियों में से कोई एक मामले में शामिल हो। अधिकार अदालत द्वारा दिए गए निर्णय पर निर्भर करता है न कि उस घटना के संबंध में जिसने आरोपी के खिलाफ अभियोजन को जन्म दिया, चाहे वह पीड़ित के कहने पर हो या नहीं। जहां इसमें कोई संदेह नहीं है कि संहिता की धारा 372 के प्रावधान के तहत जो प्रदान किया गया है वह पीड़ित को अपील करने में सक्षम बनाता है।

निर्दिष्ट परिस्थितियों में संविधि द्वारा उसे प्रदत्त एक मूल अधिकार है, इसके प्रभाव को इस दृष्टिकोण से निरस्त नहीं किया जा सकता है कि अंत:स्थापित परंतुक की प्रयोज्यता को उस मामले में घटना की तारीख के संदर्भ में माना जाना चाहिए जिसके कारण अभियुक्त पर मुकदमा चलाया गया था। ऐसा कोई भी दृष्टिकोण उपरोक्त परंतुक के अक्षर और भावना के खिलाफ होगा और उसी उद्देश्य के खिलाफ भी होगा।

जिसके लिए पीड़ित को अपील करने का अधिकार प्रदान किया जाता है, जिसके तहत आने वाले व्यक्ति को चित्रित और परिभाषित किया जाता है, और विशेष रूप से सीमित किया जाता है किस स्थिति में इस तरह के अधिकार का प्रयोग किया जा सकता है।

60. परमेश्वर मंडल को भी संदर्भित किया गया था जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया था कि विधानमंडल का इरादा केवल उन पीड़ितों को अपील करने का अधिकार निहित करना नहीं था जिनके

मामलों में यह घटना Cr.P.C में संशोधन के बाद हुई थी। यदि उस प्रस्ताव को स्वीकार किया जाना था, तो फिर आने वाले वर्षों के लिए, पीड़ित का [2018] 13 एस. सी. आर. में अपील करने का अधिकार।

परंतुक की शर्तें भ्रामक बनी रहेंगी (मामलों के निपटारे में देरी को देखते हुए)।

61. इन निर्णयों के आधार पर यह अभिनिर्धारित किया गया कि अपील

पीड़ित द्वारा दायर किया गया मामला विचारणीय होगा क्योंकि निचली अदालत द्वारा बरी किए जाने का फैसला 31 दिसंबर, 2009 के बाद आया था।

62. कुछ उच्च न्यायालयों के विद्वान एकल न्यायाधीशों द्वारा दिए गए निर्णय हैं, लेकिन उन निर्णयों के विश्लेषण के साथ इस निर्णय को और बोझ डालने की आवश्यकता नहीं है (हमने उनमें से एक का उल्लेख किया है)। यह कहने के लिए पर्याप्त है कि निर्णयों ने कमोबेश विभिन्न उच्च न्यायालयों द्वारा दिए गए पूर्ण पीठ के निर्णयों में आए कारणों और निष्कर्षों का पालन किया है।

63. मोटे तौर पर, उपरोक्त मामलों में, उच्च न्यायालयों द्वारा व्यक्त विचार यह है कि यदि निचली अदालत का निर्णय दिया जाता है परंतुक लागू होने के बाद, यानी 31 दिसंबर, 2009 के बाद, अपराध की तारीख चाहे जो भी हो, पीड़ित अपील के अधिकार का लाभ उठा सकता है। कुछ निर्णयों में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि अपील का अधिकार पीड़ित को प्रदत्त एक पूर्ण अधिकार नहीं है, लेकिन यह अपील करने के लिए विशेष अनुमति की मांग करने वाले आवेदन के अधीन है।

असहमति के फैसले

64. डी. सुधाकर बनाम. पनापु श्रीनिवासुलु @इवोन वाटर श्रीनिवासुलु और आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने 30 नवंबर, 2011 को बरी किए जाने के आदेश के खिलाफ अपराध की पीड़ित द्वारा दायर एक अपील को इस आधार पर खारिज कर दिया कि यह विचारणीय नहीं था। उच्च न्यायालय ने इस निष्कर्ष के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग में इस न्यायालय द्वारा की गई टिप्पणी पर भरोसा किया। संयोग से, जॉन बनाम में केरल उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश के निर्णय का भी संदर्भ दिया गया था। शिबू चेरियन 1 9 का भी यही प्रभाव रहा।

65. इसी तरह का विचार छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने भीसम प्रसाद बरेथ बनाम में व्यक्त किया था। दिनेश महांत

& Ors.20 राष्ट्रीय महिला आयोग में इस न्यायालय के निर्णय पर भरोसा करते हुए। यहां यह उल्लेख किया जा सकता है कि छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में दायर अपील 5 मार्च को हुई एक घटना के संबंध में 18 मार्च, 2009 को पारित बरी करने के आदेश के खिलाफ थी।

18 MANU/AP/1172/2012 7 दिसंबर, 2012 को तय किया गया 19 MANU/KE/1839/2011 5 अगस्त, 2011 को तय किया गया 20 MANU/CG/0079/2012 15 मार्च, 2012 को तय किया गया MALLIKARJUN KODAGALI (DED) REP।

टीएचआर। एलआरएस। वी. कर्नाटक राज्य [मदन बी. लोकुर, जे.]

2008 दोनों तिथियाँ Cr.P.C की धारा 372 में परंतुक को शामिल करने से बहुत पहले की हैं।

66. निर्णयों के असहमत समूह में, उच्च न्यायालयों द्वारा लिया गया दृष्टिकोण इस प्रभाव के लिए है कि यदि घटना या अपराध इससे पहले हुआ था

31 दिसंबर, 2009 से पीड़ित निचली अदालत के फैसले की तारीख की परवाह किए बिना Cr.P.C की धारा 372 के तहत अपील दायर नहीं कर सकता है। 67. विभिन्न उच्च न्यायालयों द्वारा दिए गए निर्णयों का विश्लेषण इंगित करता है कि भारी विचार यह है कि निर्णय की तारीख

और विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश Cr.P.C की धारा 372 पर परंतुक की प्रयोज्यता निर्धारित करने के लिए प्रासंगिक तिथि है और यदि, वर्तमान मामले की तरह, निर्णय और आदेश 31 दिसंबर, 2009 के बाद का है तो पीड़ित उच्च न्यायालय में अपील कर सकता है।

इस न्यायालय द्वारा व्यक्त एक अन्य विचार

68. सत्यपाल सिंघव में। मध्य प्रदेश राज्य और Ors.2[1] 21 यह

न्यायालय ने Cr.P.C की धारा 372 के परंतुक की एक विस्तृत व्याख्या दी और निम्नलिखित निष्कर्ष निकाला:

" इस न्यायालय का विचार है कि निर्णय की शुद्धता और उच्च न्यायालय में अपील को प्राथमिकता देकर बरी करने के आदेश पर सवाल उठाने का अधिकार पीड़ित को प्रदान किया जाता है, जिसमें कानूनी उत्तराधिकारी और अन्य शामिल हैं, जैसा कि धारा 372 के परंतुक के तहत परिभाषित किया गया है, लेकिन धारा 378 की उप-धारा (3) के तहत उच्च न्यायालय की अनुमति प्राप्त करने के बाद ही।

69. इस मामले में अपराध 19 जुलाई, 2010 को या उसके आसपास हुआ था और निचली अदालत का निर्णय 13 जून, 2013 को दिया गया था। उस पर

उद्धृत परिच्छेद को सीधे पढ़ने पर, यह प्रतीत होता है कि कथित अपराध की तारीख और विचारण न्यायालय का निर्णय और आदेश प्रासंगिक नहीं है, जिसका अर्थ है कि भले ही अपराध 31 दिसंबर, 2009 से पहले किया गया था और निर्णय और आदेश 31 दिसंबर, 2009 से पहले दिया गया था, पीड़ित अनुमति प्राप्त करने के बाद उच्च न्यायालय में अपील कर सकता है। ऐसा नहीं है और इसलिए

व्यक्त किए गए दृष्टिकोण की विस्तृत प्रकृति की गलतफहमी।

70. ऊपर उल्लिखित इस न्यायालय के दो निर्णय दो अलग-अलग तथ्य स्थितियों में उत्पन्न होते हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग में अपराध

21 (2015) 15 एससीसी 613 [2018] 13 एस. सी. आर.

और विचारण न्यायालय का निर्णय 31 दिसंबर, 2009 से पहले का था। सत्यपाल सिंह के मामले में अपराध और निचली अदालत का फैसला 31 दिसंबर, 2009 के बाद आया था। इनमें से कोई भी स्थिति वर्तमान अपीलों में उत्पन्न नहीं होती है जिसमें कहा गया था कि अपराध 31 दिसंबर, 2009 से पहले किया गया था, जबकि निचली अदालत का फैसला 31 दिसंबर, 2009 के बाद दिया गया था। हम इन अपीलों में केवल Cr.P.C की धारा 372 के प्रावधान के तहत पीड़ित द्वारा अपील की स्थिरता के साथ चिंतित हैं, जहां कथित अपराध 31 दिसंबर, 2009 से पहले किया गया था और निर्णय और आदेश निचली अदालत द्वारा 31 दिसंबर, 2009 के बाद दिया गया है। इसलिए, इस न्यायालय के दो फैसलों में से कोई भी हमारे लिए कोई वास्तविक सहायता नहीं है।

हमारे निष्कर्ष

अभिनिर्धारित किया कि अपील करने का अधिकार केवल प्रक्रिया का विषय नहीं है, बल्कि एक मूल अधिकार है। हम इस निर्णय के साथ-साथ इस दृष्टिकोण का पालन करने वाले अन्य निर्णयों से बाध्य हैं। सवाल यह है कि क्या यह मूल वैधानिक अधिकार पीड़ित को वर्तमान जैसे मामले में प्रदान किया गया है। 72. अभियुक्त के विद्वान वकील द्वारा यह भी प्रस्तुत किया गया था कि वर्तमान तथ्य स्थिति में, यदि हम यह मानते हैं कि कोडगली अभियुक्त के बरी होने के खिलाफ अपील दायर करने का हकदार था, तो हम Cr.P.C की धारा 372 के परंतुक को पूर्वव्यापी प्रभाव देंगे।

अपराध। 73. इसका प्रतिकार करने के लिए, कोडगली के विद्वान वकील द्वारा प्रस्तुत किया गया था कि इस न्यायालय द्वारा राष्ट्रीय आयोग में व्यक्त किया गया विचार

महिलाओं के लिए केवल एक पर्यवेक्षक था और इस न्यायालय पर बाध्यकारी नहीं है। हमारे लिए इस मामले के इस पहलू में जाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि हमारा विचार है कि राष्ट्रीय महिला आयोग में दिया गया निर्णय

22 1957 एस. सी. आर. 488 मल्लिकार्जुन कोडागली (मृत) आर. ई. पी. टीएचआर। एलआरएस। वी. कर्नाटक राज्य [मदन बी. लोकुर, जे.]

गलत समझा गया है और गलत व्याख्या की गई है और स्पष्ट रूप से अलग है

तथ्यों पर। अन्यथा भी, निर्णय दो विद्वान न्यायाधीशों की पीठ द्वारा दिया गया है और हालांकि उसमें व्यक्त विचार निश्चित रूप से बहुत प्रेरक मूल्य रखता है, लेकिन यह तीन न्यायाधीशों की पीठ पर बाध्यकारी नहीं होगा। इसके अलावा, इस न्यायालय का आदेश हमें बाध्य नहीं करेगा।

74. महत्वपूर्ण बात यह है कि कई उच्च न्यायालयों ने इस प्रभाव पर एक सुसंगत दृष्टिकोण अपनाया है कि किसी अपराध के पीड़ित को Cr.P.C की धारा 372 के परंतुक के तहत अपील करने का अधिकार है। यह दृष्टिकोण परंतुक की सरल भाषा के अनुरूप है। लेकिन जो अधिक महत्वपूर्ण है वह यह है कि कई उच्च न्यायालयों ने भी यह विचार लिया है कि कथित अपराध की तारीख की अपील के अधिकार के साथ कोई प्रासंगिकता नहीं है। यह अभिनिर्धारित किया गया है, और हमने ऊपर दिए गए उन निर्णयों का उल्लेख किया है, कि महत्वपूर्ण तिथि विचारण न्यायालय द्वारा पारित बरी किए जाने के आदेश की तिथि है। एक अर्थ में, कार्रवाई का कारण अपराध की पीड़ित के पक्ष में तभी उत्पन्न होता है जब बरी करने का आदेश पारित किया जाता है और यदि ऐसा 31 दिसंबर, 2009 के बाद होता है तो पीड़ित को बरी करने के फैसले को चुनौती देने का अधिकार है।

एक अपील के माध्यम से। वास्तव में, यह अधिकार न केवल बरी किए जाने के आदेश को चुनौती देने के लिए है, बल्कि कम अपराध या अपर्याप्त मुआवजे के लिए अभियुक्त की दोषसिद्धि को भी चुनौती देता है। परंतुक की भाषा काफी स्पष्ट है, और हमें उन बारीकियों को नहीं पढ़ना चाहिए जो परंतुक में मौजूद नहीं हैं।

75. हमारी राय में, Cr.P.C की धारा 372 के प्रावधान को भी एक ऐसा अर्थ दिया जाना चाहिए जो यथार्थवादी, उदार, प्रगतिशील और अपराध के शिकार व्यक्ति के लिए फायदेमंद हो। इसका एक ऐतिहासिक कारण है, जिसकी शुरुआत अपराध के पीड़ितों के लिए न्याय के बुनियादी सिद्धांतों की घोषणा से होती है 29 नवंबर, 1985 को संयुक्त राष्ट्र की महासभा द्वारा 96 वें पूर्ण सत्र में शक्ति का दुरुपयोग किया गया। इस घोषणा को कभी-कभी पीड़ितों के अधिकारों का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। की गई महत्वपूर्ण घोषणाओं में से एक औपचारिक और अनौपचारिक दोनों तरह के न्याय वितरण तंत्र के माध्यम से अपराध के पीड़ित के लिए न्याय तक पहुंच के संबंध में थी। घोषणा में यह इस प्रकार कहा गया था:

" 4. पीड़ितों के साथ करुणा और सम्मान के साथ व्यवहार किया जाना चाहिए

उनकी गरिमा। वे न्याय के तंत्र तक पहुँचने और राष्ट्रीय विधान द्वारा प्रदान किए गए त्वरित समाधान के हकदार हैं।

उस नुकसान के लिए जो उन्होंने झेला है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

5. न्यायिक और प्रशासनिक तंत्र स्थापित किए जाने चाहिए और पीड़ितों को प्राप्त करने में सक्षम बनाने के लिए जहां आवश्यक हो वहां उन्हें मजबूत किया जाना चाहिए।

औपचारिक या अनौपचारिक प्रक्रियाओं के माध्यम से निवारण जो त्वरित, निष्पक्ष, सस्ती और सुलभ हैं। पीड़ितों को सूचित किया जाना चाहिए

इस तरह के तंत्र के माध्यम से पुनर्निर्धारण की मांग में उनके अधिकार।

6. न्यायिक और प्रशासनिक प्रक्रियाओं की प्रतिक्रियाशीलता

पीड़ितों की आवश्यकताओं को निम्न द्वारा सुगम बनाया जाना चाहिए:

(क) पीड़ितों को उनकी भूमिका और कार्यवाही के दायरे, समय और प्रगति और उनके मामलों के निपटारे के बारे में सूचित करना,

विशेष रूप से जहां गंभीर अपराध शामिल हैं और जहां वे हैं

ऐसी जानकारी का अनुरोध किया;

(ख) पीड़ितों के विचारों और चिंताओं को कार्यवाही के उचित चरणों में प्रस्तुत करने और उन पर विचार करने की अनुमति देना जहां उनके व्यक्तिगत हित प्रभावित होते हैं, अभियुक्त के प्रति पूर्वाग्रह के बिना और प्रासंगिक राष्ट्रीय आपराधिक न्याय के अनुरूप।

प्रणाली;

(ग) पीड़ितों को पूरे कानूनी मामले में उचित सहायता प्रदान करना।

प्रक्रिया; (घ) पीड़ितों को होने वाली असुविधा को कम करने, आवश्यकता पड़ने पर उनकी गोपनीयता की रक्षा करने और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उपाय करना।

और उनके परिवारों और गवाहों की ओर से,

धमकी और प्रतिशोध;

(ई) मामलों के निपटारे में अनावश्यक देरी और पीड़ितों को पुरस्कार देने वाले आदेशों या फरमानों के निष्पादन से बचना।

मध्यस्थता, मध्यस्थता और प्रथागत न्याय या स्वदेशी प्रथाएं, सुलह को सुविधाजनक बनाने के लिए जहाँ उपयुक्त हो वहाँ उपयोग किया जाना चाहिए और

पीड़ितों के लिए निवारण "।

76. घोषणा को व्यवहार में लाते हुए, यह बिल्कुल स्पष्ट है कि एक अपराध का एम विभिन्न अधिकारों का हकदार है। तक पहुंचराष्ट्रीय विधान के रूप में प्रदान की गई औपचारिक प्रक्रियाओं के माध्यम से न्याय और निवारण के उद्देश्यों में, किसी मामले में बरी होने के खिलाफ अपील दायर करने का अधिकार शामिल होना चाहिए, जैसे कि वर्तमान में हम जिस मामले से पीड़ित हैं। इस संदर्भ में, इसमें कोई संदेह नहीं है कि बाड़ के शिकार व्यक्ति को लाभ पहुँचाने के लिए Cr.P.C के प्रावधान ction 372 को जीवन दिया जाना चाहिए।

77. इन परिस्थितियों में, कानून की सरल भाषा के आधार पर और कई उच्च न्यायालयों द्वारा व्याख्या किए गए और संयुक्त राष्ट्र की महासभा के प्रस्ताव के अलावा, हमारे लिए यह बिल्कुल स्पष्ट है कि पीड़ित, जैसा कि आई. डी. 1 की धारा 2 (डब्ल्यू. ए.) में परिभाषित किया गया है, न्यायालय के समक्ष अपील दायर करने का हकदार होगा, जिसमें आम तौर पर दोषसिद्धि के आदेश के खिलाफ अपील की जाती है। इससे यह पता चलता है कि उच्च न्यायालय के समक्ष कोडगली द्वारा दायर अपील विचारणीय थी और उस पर अपने गुण-दोष के आधार पर विचार किया जाना चाहिए था।

78. जहाँ तक विशेष अवकाश देने का सवाल है, एक बार फिर हमें इस पर की गई दलीलों से अभिभूत होने की आवश्यकता नहीं है।

शिकायत करें। 'शिकायत' शब्द को Cr.P.C की धारा 2 (d) में परिभाषित किया गया है और यह मौखिक रूप से या लिखित रूप में लगाए गए किसी भी आरोप को संदर्भित करता है। मजिस्ट्रेट। इसका एफ. आई. आर. दर्ज करने या दर्ज करने से कोई लेना-देना नहीं है, और इसलिए जहां तक आई. डी. 1 की धारा 372 के प्रावधान का संबंध है, पीड़ित के शिकायतकर्ता होने के प्रभाव पर विचार करना बिल्कुल भी आवश्यक नहीं है।

अंतिम आदेश

79. ऊपर वर्णित कारणों से, अपीलों की अनुमति दी जाती है और उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय और आदेशों को दरकिनार कर दिया जाता है और मामले को उच्च न्यायालय में वापस भेज दिया जाता है ताकि जिला और सत्र न्यायाधीश, बगलकोट (कर्नाटक) द्वारा 2010 के एस. सी. <आई. डी. 1 में पारित 28 अक्टूबर, 2013 के फैसले और बरी करने के आदेश के खिलाफ कोडगली द्वारा दायर अपील पर सुनवाई और निर्णय लिया जा सके।

दीपाक गुप्ता, जे. 1. मुझे इससे गुजरने का सौभाग्य मिला है।

मेरे भाई न्यायमूर्ति लोकुर का विस्तृत और विवेकपूर्ण निर्णय। मैं अपने विद्वान भाई के साथ पूरी तरह से सहमत हूं कि जो दर्द है

कुचला नहीं जाना चाहिए। पीड़ितों के साथ संवेदनशीलता, करुणा और सम्मान के साथ व्यवहार किया जाना चाहिए। उन्हें न्याय तक पहुँचने की भी अनुमति दी जानी चाहिए क्योंकि कभी-कभी यह पाया जाता है कि जाँच और अभियोजन एजेंसियां उत्साह के साथ मामलों का पालन नहीं करती हैं जो आवश्यक है। इसलिए, मैं अपने विद्वान भाई से पूरी तरह सहमत हूं कि [2018] 13 एस. सी. आर. की धारा 372 का प्रावधान।

दंड प्रक्रिया, 1973 (संक्षेप में 'सी. आर. पी. सी.') को एक

जो यथार्थवादी, उदार, प्रगतिशील और पीड़ितों के लिए फायदेमंद हो।

ई अपराध।

2. हालाँकि, एक ही समय में, किसी के अधिकारों की उपेक्षा नहीं की जा सकती है

सेड और कानून द्वारा निर्धारित प्रक्रिया। मैं अर्जित भाई से सहमत नहीं हूं कि एक पीड़ित उच्च न्यायालय में अपील दायर कर सकता है।

आप दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 378 (3) के संदर्भ में अपील करने की अनुमति चाहते हैं।

3. सी. आर. पी. सी. की धारा 372 और 378 निम्नानुसार है: " 372. झूठ बोलने की कोई अपील नहीं जब तक कि अन्यथा प्रदान नहीं किया जाता है। - कोई अपील नहीं

दंड न्यायालय के किसी निर्णय या आदेश से निहित होगा सिवाय इसके कि -

इस संहिता द्वारा या कुछ समय के लिए किसी अन्य कानून द्वारा प्रदान किया गया

बल:

[बशर्ते कि पीड़ित को अपील करने का अधिकार होगा अभियुक्त को दोषमुक्त करने वाले न्यायालय द्वारा पारित किसी आदेश के विरुद्ध या

कम अपराध के लिए दोषसिद्धि या अपर्याप्त अधिरोपित करना

क्षतिपूर्ति, और ऐसी अपील उस न्यायालय में होगी जिसके लिए

अपील आमतौर पर इस तरह के दोषसिद्धि के आदेश के खिलाफ होती है अदालत।] "

XXX

XXX

XXX

" 378. बरी होने की स्थिति में अपील करें। - (1) अन्यथा सहेजें

उप-धारा (2) में उपबंधित और उप-धारा के उपबंधों के अधीन रहते हुए

धारा (3) और (5),

ए। जिला मजिस्ट्रेट, किसी भी मामले में, जनता को निर्देश दे सकता है

अभियोजक सत्र न्यायालय में अपील प्रस्तुत करेगा मजिस्ट्रेट द्वारा पारित बरी करने के आदेश से

संज्ञेय और गैर-जमानती अपराध का सम्मान;

बी। राज्य सरकार, किसी भी मामले में, जनता को निर्देश दे सकती है

खंड (क) या द्वारा पारित बरी करने के आदेश के तहत पुनरीक्षण में सत्र न्यायालय।

(2) यदि ऐसे किसी मामले में बरी करने का आदेश पारित किया जाता है जिसमें -

दिल्ली विशेष पुलिस द्वारा अपराध की जांच की गई है। दिल्ली विशेष पुलिस मलिकार्जुन कोडागली (मृत) आर. ई. पी. के तहत गठित प्रतिष्ठान।

टीएचआर। एलआरएस। वी. कर्नाटक राज्य [दीपाक गुप्ता, जे.]

स्थापना अधिनियम, 1946 (1946 का 25) या किसी अन्य एजेंसी द्वारा

किसी भी अपराध की जांच करने के लिए सशक्त

इस संहिता के अलावा केंद्रीय अधिनियम, केंद्र सरकार, उप-धारा (3) के प्रावधानों के अधीन रहते हुए, जनता को भी निर्देश दें

अभियोजक एक अपील प्रस्तुत करेगा

सत्र न्यायालय को, बरी करने के आदेश से पारित

ए।

संज्ञेय और गैर-जमानतीय के संबंध में मजिस्ट्रेट द्वारा अपराध;

बी। उच्च न्यायालय के अलावा किसी अन्य न्यायालय द्वारा पारित बरी किए जाने के मूल या अपीलीय आदेश से उच्च न्यायालय को

खंड (क) के तहत आदेश या बरी करने का आदेश नहीं होना

सत्र न्यायालय द्वारा संशोधन में पारित किया गया।

(3) उप-धारा (1) या उप-धारा के तहत उच्च न्यायालय में कोई अपील नहीं

धारा (2) पर उच्च न्यायालय की अनुमति के अलावा विचार किया जाएगा।

शिकायतकर्ता द्वारा इस ओर से, अपील करने के लिए विशेष अनुमति प्रदान करता है। बरी किए जाने के आदेश से, शिकायतकर्ता ऐसा प्रस्तुत कर सकता है -

उच्च न्यायालय में अपील करें। (5) विशेष अनुदान के लिए उप-धारा (4) के तहत कोई आवेदन नहीं

बरी किए जाने के आदेश के खिलाफ अपील करने की अनुमति पर विचार किया जाएगा छह महीने की समाप्ति के बाद उच्च न्यायालय, जहां

शिकायतकर्ता एक लोक सेवक है, और हर दूसरे मामले में साठ दिन,

बरी किए जाने के उस आदेश की तारीख से गणना की गई।

(6) यदि, किसी भी मामले में, उप-धारा (4) के तहत आवेदन

बरी किए जाने के आदेश के खिलाफ अपील करने के लिए विशेष अनुमति का अनुदान है

अस्वीकार कर दिया गया, बरी करने के उस आदेश से कोई अपील उप के तहत नहीं होगी

धारा (1) या उप-धारा (2) के तहत।

धारा 372 में प्रावधान को 2009 के सी. टी. 5 में संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था, जो 31.12.2009 से प्रभावी था।4. जहाँ तक वर्तमान मामले का संबंध है, अपराध 5.02.2009 अर्थात 31.12.2009 से पहले हुआ था और बरी करने का आदेश था

28.10.2013 पर ट्रायल कोर्ट द्वारा एड। मैं अपनी बात से सहमत हूँ

एड भाई कि पीड़ित को अपील दायर करने का अधिकार केवल [2018] 13 एस. सी. आर.

उस तारीख को जब निचली अदालत द्वारा निर्णय पारित किया जाता है क्योंकि केवल तभी पीड़ित को यह आग्रह करने का अधिकार है कि बरी होना गलत है या

अभियुक्त को दी गई सजा उस अपराध के अनुरूप नहीं है जो अभियुक्त ने किया होगा। इसलिए, मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है कि पीड़ित को अपील करने का अधिकार है और उस हद तक उच्च न्यायालय के फैसले को दरकिनार किया जा सकता है।

5. निष्कर्ष के संबंध में मेरा एकमात्र मतभेद है।

मेरे विद्वान भाई के फैसले में कहा गया है कि पीड़ित को, उच्च न्यायालय में दायर अपील में भी, उच्च न्यायालय से अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है। अदालत। मेरे सुविचारित विचार में, यह मामला, वास्तव में, अब एकीकृत नहीं है। इस न्यायालय ने सत्यपाल सिंह बनाम में इस मुद्दे पर विशेष रूप से विचार किया है।

एम. पी. और अन्य 1 की स्थिति, जिसमें यह निम्नानुसार थी:

राज्य, 2015 एस. सी. सी. ऑनलाइन डेल 9802, प्रासंगिक जांच के बाद धारा 2 (डब्ल्यू. ए.) और धारा 372 के प्रावधान के तहत प्रावधान

सी. आर. पी. सी. ने अपने विधायी इतिहास के आलोक में माना है कि अधिकार

पीड़ित या उसके रिश्तेदारों को दी गई अपील को प्राथमिकता देना। धारा 372 के प्रावधान के आधार पर पीड़ित एक स्वतंत्र व्यक्ति है।

वैधानिक अधिकार। इसलिए, यह माना गया है कि इसकी कोई आवश्यकता नहीं है

दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 2 (डब्ल्यू. ए.) के तहत परिभाषा के संदर्भ में पीड़ित की मांग की उप-धारा (3) के तहत आवश्यकतानुसार उच्च न्यायालय की अनुमति

दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 378 धारा के प्रावधान के तहत अपील को प्राथमिकता देगी

स्पष्ट रूप से यह प्रावधान है कि किसी भी निर्णय के खिलाफ कोई अपील नहीं की जाएगी और सी. आर. पी. सी. द्वारा दिए गए प्रावधानों को छोड़कर किसी आपराधिक अदालत का आदेश। इसके अलावा,

दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 378 की उप-धारा (3) में यह प्रावधान है कि बरी किए जाने के आदेश के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील

इसकी छुट्टी प्राप्त करने के लिए आवश्यक है।

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

15. इस प्रकार, कानूनी मुद्दे पर निष्कर्ष निकालने के लिए:

" क्या इसमें अपीलार्थी, के पिता होने के नाते

मृतक को उच्च न्यायालय में अपील करने का वैधानिक अधिकार है धारा के परंतुक के तहत बरी करने के आदेश के खिलाफ अदालत

1 1 (2015) 15 एस. सी. सी. 613 मलिकार्जुन कोडागली (मृत) आर. ई. पी. टीएचआर। एलआरएस। वी. कर्नाटक राज्य [दीपाक गुप्ता, जे.]

372 दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 378 की उप-धारा (3) के तहत उच्च न्यायालय की अनुमति प्राप्त किए बिना दंड प्रक्रिया संहिता?

इस न्यायालय का विचार है कि निर्णय की शुद्धता और उच्च न्यायालय में अपील को प्राथमिकता देकर बरी करने के आदेश पर सवाल उठाने का अधिकार पीड़ित को प्रदान किया जाता है, जिसमें कानूनी उत्तराधिकारी और अन्य शामिल हैं, जैसा कि धारा 372 के परंतुक के तहत दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 2 (डब्ल्यू) के तहत परिभाषित किया गया है, लेकिन दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 378 की उप-धारा (3) के तहत उच्च न्यायालय की अनुमति प्राप्त करने के बाद ही। एम. पी. का उच्च न्यायालय विवादित निर्णय पारित करते समय मामले के इस महत्वपूर्ण कानूनी पहलू से निपटने में विफल रहा है और

आदेश "।

6. एकमात्र मुद्दा जिससे मैं निपट रहा हूं वह यह है कि क्या कोई पीड़ित उच्च न्यायालय में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 372 के तहत अपील दायर करता है।

अभियुक्त के बरी होने के खिलाफ दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 378 (3) के तहत अदालत की अनुमति प्राप्त करना आवश्यक है। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 372 के संशोधन से पहले पीड़ित को अपील दायर करने का कोई अधिकार नहीं था। पारंपरिक दृष्टिकोण हमेशा से रहा है कि राज्य अपराध के पीड़ित का प्रतिनिधित्व करता है। आपराधिक अपराधों को हमेशा राज्य के खिलाफ अपराध माना गया है और केवल राज्य ही ऐसे मामलों की जांच और मुकदमा चलाता है। यदि राज्य तंत्र पीड़ित की शिकायत पर कार्रवाई नहीं करता है, तो उक्त पीड़ित को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 156 के तहत अदालत का दरवाजा खटखटाने का अधिकार है। सी. आर. पी. सी. की धारा 156 (3) के तहत मजिस्ट्रेट पुलिस द्वारा जांच करने का आदेश दे सकता है। एक बार जाँच हो जाने के बाद, जाँच अधिकारी की सहायता करने और जाँच अधिकारी के ध्यान में सबूत लाने के अलावा जाँच में पीड़ित का कोई हाथ नहीं होता है। जाँच के बाद जाँच अधिकारी सीआरपीसी की धारा 173 के तहत अंतिम रिपोर्ट दाखिल करता है। जाँच अधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुँच सकता है कि या तो कोई अपराध नहीं किया गया है या रिपोर्ट दायर कर सकता है।

यह दर्शाते हुए कि कौन से अपराध किए गए हैं, जिस मामले में अदालत आगे बढ़ती है। यहां तक कि उन मामलों में भी जहां जांच एजेंसी रिपोर्ट दाखिल करती है

कि कोई आपराधिक अपराध नहीं बनता है, पीड़ित को रिपोर्ट पर आपत्ति करने का अधिकार है और वह अदालत के समक्ष तर्क दे सकता है कि मामला एकत्र किए गए साक्षय के आधार पर बनाया गया है या वह यह भी आग्रह कर सकता है कि पुलिस

आगे और अधिक जांच करने का निर्देश दिया जाना चाहिए।

7. सी. आर. पी. सी. का अध्याय 21 अपीलों से संबंधित है। बरी किए जाने के खिलाफ अपीलें दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 378 द्वारा शासित होती हैं। इस धारा की उप-धारा (1) के अनुसार केवल जिला मजिस्ट्रेट या यथास्थिति राज्य [2018] 13 एस. सी. आर. हो सकता है।

लोक अभियोजक को अपील दायर करने का निर्देश देने का अधिकार है। उप-धारा (2) दिल्ली विशेष पुलिस के तहत जांच किए गए मामलों से संबंधित है। स्थापना अधिनियम, 1946 और इन मामलों में केंद्र सरकार लोक अभियोजक को अपील दायर करने का निर्देश भी दे सकती है। मैं मुख्य रूप से दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 378 की उप-धारा (3) से संबंधित हूं, जिसमें यह प्रावधान है कि उच्च न्यायालय की अनुमति के अलावा उप-धारा (1) या उप-धारा (2) के तहत उच्च न्यायालय में किसी भी अपील पर विचार नहीं किया जाएगा। उप-धारा (4) शिकायतकर्ता द्वारा दायर अपीलों से संबंधित है यदि शिकायत पर स्थापित मामले में बरी करने का आदेश पारित किया जाता है। ऐसे मामलों में यदि अपील उच्च न्यायालय में दायर की जानी है तो उस पर तब तक विचार नहीं किया जा सकता जब तक कि उच्च न्यायालय के आदेश से अपील करने के लिए विशेष अनुमति नहीं दी जाती है।

दोषमुक्त। उप-धारा (5) उप-धारा (4) के संदर्भ में अपील करने के लिए विशेष अनुमति देने के लिए याचिका दायर करने की सीमा प्रदान करती है। उप-धारा (6) में कहा गया है कि यदि उप-धारा (4) के तहत शिकायतकर्ता द्वारा दायर अपील के लिए विशेष अनुमति के लिए आवेदन अस्वीकार कर दिया जाता है तो बरी करने के उस आदेश से कोई अपील उप-धारा (1) या उप-धारा (2) के तहत नहीं होगी। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 378 के विश्लेषण से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि दंड प्रक्रिया संहिता

परिकल्पना की गई और राज्य को एक प्रमुख भूमिका प्रदान की गई। केवल राज्य ही अपील दायर करने का हकदार था। एकमात्र अपवाद शिकायत मामलों में था जहाँ शिकायतकर्ता अपील दायर कर सकता था। उच्च न्यायालय में अपील किए जाने की स्थिति में उन्हें अपील करने के लिए विशेष अनुमति भी लेनी पड़ी।

8. दिलचस्प बात यह है कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 372, जिसे पीड़ित को अधिकार देने के लिए वर्ष 2008 में संशोधित किया गया था, एक नकारात्मक धारा है।

विशेष रूप से इसके संशोधन से पहले यह प्रावधान किया गया था कि दंड प्रक्रिया संहिता या किसी अन्य लागू कानून द्वारा प्रदान किए गए प्रावधान के अलावा किसी आपराधिक न्यायालय के किसी भी निर्णय या आदेश से कोई अपील नहीं होगी। विधायिका ने पीड़ित को अपील करने का अधिकार देते हुए, उसे सबसे अच्छी तरह से ज्ञात कारणों से, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 378 या किसी अन्य विशिष्ट धारा के तहत पीड़ित को अपील दायर करने का अधिकार नहीं दिया। आश्चर्य की बात है कि पीड़ित को यह अधिकार दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 372 के प्रावधान के रूप में दिया गया था। यह प्रावधान बहुत खुशी से नहीं कहा गया है। जो भी हो, तथ्य यह है कि पीड़ित को अब इस परंतुक के तहत अपील करने का अधिकार है। वह निम्नलिखित आदेशों के खिलाफ अपील दायर कर सकता है:

((i) अभियुक्त को दोषमुक्त ठहराते हुए न्यायालय द्वारा पारित कोई आदेश;

((ii) न्यायालय द्वारा पारित कोई आदेश जहाँ अभियुक्त को दोषी ठहराया जाता है।

कम अपराध के लिए, लेकिन पीड़ित को लगता है कि उसे किसी बड़े अपराध के लिए दोषी ठहराया जाना चाहिए था। जाहिर है कि अपील

एक उच्च अपराध के लिए अभियुक्त के बरी होने के खिलाफ झूठ बोलता है; मल्लिकार्जुन कोडागली (मृत) आरईपी।

टीएचआर। एलआरएस। वी. कर्नाटक राज्य [दीपाक गुप्ता, जे.]

(iii) एक अपील तब होती है जब पीड़ित राशि से संतुष्ट नहीं होता है।

दिए गए मुआवजे का।

9. इस मुद्दे पर विचार करते हुए कि क्या पीड़ित को अपील करने की अनुमति लेनी चाहिए, किसी को पहले अपील करने की अनुमति की अवधारणा को शुरू करने के पीछे की अवधारणा को समझना चाहिए, खासकर जब उच्च न्यायालयों में अपील दायर की जाती है। प्रत्येक अभियुक्त से जुड़ी निर्दोषता की धारणा तब मजबूत और मजबूत होती है जब उक्त अभियुक्त को निचली अदालत द्वारा बरी कर दिया जाता है। संभवतः, इस कारण से, कानून निर्माताओं ने महसूस किया कि जब अपील उच्च न्यायालय में दायर की जानी है तो इसे निश्चित रूप से या अधिकार के मामले के रूप में दायर नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन अपील पर विचार करने से पहले उच्च न्यायालय की अनुमति प्राप्त की जानी चाहिए। इसलिए, उच्च न्यायालय यह तय करने के प्रारंभिक चरण में कि अनुमति दी जानी है या नहीं, मामले के गुण-दोष पर विचार करेगा। केवल तभी जब बहस योग्य मुद्दे शामिल हों, उच्च न्यायालय आम तौर पर अपील करने की अनुमति देता है। यह न केवल उच्च न्यायालय को अपीलों से भर जाने से रोकेगा, बल्कि इससे भी महत्वपूर्ण यह सुनिश्चित होगा कि लंबे समय से चले आ रहे आपराधिक मुकदमे के क्लेश का सामना कर चुके निर्दोष व्यक्तियों को फिर से अनावश्यक रूप से उच्च न्यायालय में नहीं घसीटा जाए।

10. इस स्तर पर, यह भी उल्लेख करना उचित होगा कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 378 के तहत बरी करने के आदेश के खिलाफ अपील

संज्ञेय और गैर-जमानती अपराधों के संबंध में मजिस्ट्रेट

सत्र न्यायालय और अपील करने के लिए किसी अनुमति की आवश्यकता नहीं है। मजिस्ट्रेट के न्यायालय से यह केवल उन अपराधों के संबंध में अपील है जो गैर-आपराधिक हैं।

संज्ञेय और जमानती यानी कम गंभीर अपराध जो

उच्च न्यायालय। ऐसे मामलों में, अपील करने की अनुमति एक पूर्व-आवश्यकता है। यह इस दृष्टि से किया गया था कि जिन व्यक्तियों को अपेक्षाकृत कम अपराधों के लिए मुकदमे का सामना करना पड़ा था, उन्हें किसी अपराध का खर्च वहन नहीं करना चाहिए। उच्च न्यायालय में अपील करें। उच्च न्यायालय में आने वाली अन्य अपीलें सत्र न्यायालय की अपीलें हैं। ये गंभीर आपराधिक मामले हैं और बहुत गंभीर अपराधों से संबंधित हैं। यहाँ अपील करने की अनुमति की अवधारणा संभवतः इसलिए पेश की गई थी क्योंकि इन मामलों का निर्णय अपेक्षाकृत वरिष्ठ न्यायाधीशों यानी सत्र न्यायाधीशों द्वारा किया जाता है। विधानमंडल ने महसूस किया कि ऐसे मामलों में भी बरी किए जाने के खिलाफ अपीलों की अधिक से अधिक जांच की जानी चाहिए

ख्याल रखें।

11. जैसा कि ऊपर बताया गया है, एक शिकायतकर्ता को भी अपील करने के लिए विशेष अनुमति प्राप्त करने की आवश्यकता होती है जब वह शिकायत पर स्थापित मामले में बरी होने के आदेश के खिलाफ अपील दायर करता है। यह सच है कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 372 के प्रावधान से यह संकेत नहीं मिलता है कि कोई पीड़ित अपील दायर करते समय [2018] 13 एस. सी. आर.

उच्च न्यायालय में उसकी अपील पर विचार किए जाने से पहले अपील करने की अनुमति के लिए याचिका दायर करनी चाहिए। 12. मेरा विचार है कि हालांकि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 372 का प्रावधान पीड़ित को अपील दायर करने का अधिकार देता है, लेकिन इस प्रावधान को अलग से नहीं पढ़ा जा सकता है। इसका एक ऐसा अर्थ दिया जाना चाहिए जो विधानमंडल के इरादे को पूरा करता हो। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 372 के प्रावधान में यह प्रक्रिया निर्धारित नहीं की गई है कि अपील कैसे, किस तरीके से और किस समय के भीतर दायर की जानी है। एक अपील, कानून का एक हिस्सा होने के नाते, अपील दायर करने के लिए सीमा और प्रक्रिया निर्धारित करना भी आवश्यक है।

13. दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 378 की उप-धारा (4) के अनुसार, यदि किसी शिकायत पर स्थापित मामले में बरी करने का आदेश पारित किया जाता है, तो

उच्च न्यायालय को शिकायतकर्ता की अपील पर विचार करने से पहले अपील करने के लिए विशेष अनुमति देनी चाहिए। "अपील करने के लिए विशेष अनुमति" अभिव्यक्ति का "अपील करने की अनुमति" अभिव्यक्ति से कोई अलग अर्थ नहीं है और मुझे ऐसा लगता है कि "विशेष" शब्द केवल शिकायतकर्ता द्वारा मांगी गई "अपील करने की अनुमति" को राज्य द्वारा मांगी गई "अपील करने की अनुमति" से अलग करने के लिए जोड़ा गया है। इस प्रकार, एक शिकायत मामले में जहां शिकायतकर्ता ने अदालत के पहियों को गति दी है, भले ही शिकायतकर्ता अपील दायर करता है, उसे अपील करने के लिए विशेष अनुमति प्राप्त करनी होगी। यह फिर से एक दिलचस्प सवाल को जन्म देता है-क्या पीड़ित को शिकायतकर्ता से ऊँचे आसन पर रखा जा सकता है? अक्सर, पीड़ित और शिकायतकर्ता के एक ही व्यक्ति होने की संभावना होती है।

14. यदि मैं इस प्रस्ताव को स्वीकार करता हूं कि पीड़ित को माँगने की आवश्यकता नहीं है

यदि उच्च न्यायालय में अपील दायर की जानी है तो एक और विसंगतिपूर्ण स्थिति होगी। मान लीजिए कि एक मामले में दो पीड़ित हैं और पीड़ितों में से एक शिकायत दर्ज करता है और न्याय के पहियों को गति देता है और मामले की सुनवाई एक शिकायत मामले के रूप में की जाती है। यदि अभियुक्त को बरी कर दिया जाता है और पीड़ित जो शिकायतकर्ता है, उच्च न्यायालय में अपील दायर करना चाहता है, तो उसे अपील करने के लिए विशेष अनुमति लेनी होगी, जबकि पीड़ित जिसने प्रारंभिक चरण में अदालत का दरवाजा भी नहीं खटखटाया था, वह अपील करने की अनुमति के बिना अपील दायर करने का हकदार होगा। यह विधायिका की मंशा नहीं हो सकती थी।

15. मैं अपने विद्वान भाई द्वारा संदर्भित आपराधिक न्यायशास्त्र में परिवर्तनों और पीड़ित के बढ़ते अधिकारों के बारे में पूरी तरह से सचेत हूं, जो पीड़ित के पास होना चाहिए। साथ ही, ये अधिकार मल्लिकार्जुन कोडागली (मृत) आर. ई. पी. होने चाहिए।

टीएचआर। एलआरएस। वी. कर्नाटक राज्य [दीपाक गुप्ता, जे.]

अभियुक्त के अधिकारों के साथ संतुलित। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के रिकॉर्ड के अनुसार, 2016 में देश में दोषसिद्धि दर केवल 21.25% थी और 78.75% मामले आरोपमुक्त या बरी होने में समाप्त हुए। इस तथ्य को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है कि इनमें से 78.75% मामलों में

जिन मामलों में बरी होना दर्ज किया गया था, ऐसे कई मामले हो सकते हैं जो पूरी तरह से गलत हैं।

16. ऐसा हो सकता है कि कई लोग गरीबों के कारण मुक्त हो जाते हैं।

जांच और उदासीन अभियोजन के कारण। साथ ही, व्यक्तियों के लिए झूठे मामले दर्ज करना असामान्य नहीं है। वास्तव में, इस न्यायालय ने राजेश शर्मा बनाम के मामले में भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 498ए के दुरुपयोग पर ध्यान दिया है। यू. पी. की स्थिति? और डॉ. सुभाष काशीनाथ महाजन बनाम के मामले में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989। महाराष्ट्र राज्य 3. इसलिए, कानून की व्याख्या करते समय कोई भी इस तथ्य पर अपनी आंखें बंद नहीं कर सकता है कि बड़ी संख्या में झूठे मामले दायर किए जाते हैं और जब आरोपी को बरी करने का आदेश दिया जाता है तो ऐसे मामलों में अपील दायर नहीं होने की अधिक संभावना होती है।

17. कोई भी इस तथ्य से अनजान नहीं हो सकता है कि एक आधारशिला

हमारा आपराधिक न्यायशास्त्र यह है कि प्रत्येक व्यक्ति को तब तक निर्दोष माना जाता है जब तक कि वह दोषी न पाया जाए। जब व्यक्ति बरी हो जाता है तो निर्दोषता की यह धारणा मजबूत हो जाती है। इसलिए, विधायिका ने महसूस किया कि एक लंबे मुकदमे के बाद बरी किए गए व्यक्ति को अपील में उच्च न्यायालय में कार्यवाही का सामना करने के लिए बुलाए जाने से पहले, उच्च न्यायालय को मामले को देखना चाहिए और पहले यह तय करना चाहिए कि अपील दायर करने की अनुमति देने के लिए पर्याप्त कारण हैं या नहीं। यह, यह तय करने के लिए एक प्रारंभिक सुनवाई बोलने के तरीके से है कि मामला देखने लायक है या नहीं। मुझे कोई कारण नजर नहीं आता कि इस तरह की जांच क्यों नहीं की जानी चाहिए।

शिकायतें

पीड़ित द्वारा दायर किया गया। पीड़ित को राज्य या शिकायतकर्ता से ऊँचे स्थान पर नहीं रखा जा सकता है।

18. पीड़ित का अपील दायर करने का अधिकार नहीं लिया जाता है या नहीं लिया जाता है

किसी भी तरह से केवल इसलिए कमजोर हो जाता है क्योंकि उसे अपील करने की अनुमति लेनी होती है। यदि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 378 (3), 378 (4) और 372 को एक साथ पढ़ा जाता है, तो यह स्पष्ट है कि पीड़ित को भी अपने समक्ष अपील करने के लिए अनुमति के लिए आवेदन करना आवश्यक है।

अपील पर विचार किया जा सकता है।

19. हालाँकि पीड़ित के पास अधिकार हैं, लेकिन कोई यह नहीं भूल सकता कि एक पीड़ित जो पीड़ित हो सकता है, वह बदला भी ले सकता है। इसलिए, एक दायित्व

2 2017 एससीसी ऑनलाइन एससी 821 3 (2018) 6 एससीसी 454 [2018] 13 एस. सी. आर.

अभियुक्त पर मुकदमा चलाने के लिए राज्य पर आरोप लगाया गया है। वास्तव में, अब भी सी. आर. पी. सी. के तहत मुकदमा लोक अभियोजक या सहायक लोक अभियोजक द्वारा चलाया जाता है। किसी भी निजी वकील को नियुक्त नहीं किया जा सकता है

दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 301 (2) के तहत मुकदमा चलाना। एक निजी व्यक्ति सहित

सहायक लोक अभियोजक और निजी व्यक्ति द्वारा नियुक्त वकील केवल लोक अभियोजक या सहायक लोक अभियोजक के निर्देशों के अनुसार कार्य कर सकते हैं। इसके पीछे का कारण यह है कि पीड़ित सबूत गढ़ सकता है या सही तथ्य छिपा सकता है जबकि लोक अभियोजक या सहायक लोक अभियोजक से अदालत, आरोपी और पीड़ित के प्रति निष्पक्ष होने की उम्मीद की जाती है।

20. एक ओर पीड़ित के अधिकार हैं और दूसरी ओर, आपराधिक न्यायशास्त्र का अच्छी तरह से स्थापित सिद्धांत है कि -

व्यक्ति को दोषी साबित होने तक निर्दोष माना जाता है। इसलिए, यद्यपि पीड़ित को अपील दायर करने का अधिकार हो सकता है, लेकिन पीड़ित में निहित अपील दायर करने का यह अधिकार, अपील दायर करने के अधिकार से बड़ा नहीं हो सकता है जो राज्य और शिकायतकर्ता के शिकायत मामले में निहित है।

इसलिए, मेरा विचार है कि जब पीड़ित उच्च न्यायालय में बरी किए जाने के खिलाफ अपील दायर करता है तो उसे दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 378 (3) के तहत अपील करने की अनुमति लेनी होती है।

अपीलों की अनुमति दी गई।

निधि जैन